[2022] 11 एस. सी. आर 808

एम/एस। पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस।

वी.

राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड

(2022 की सिविल अपील संख्या 5333)

17 अगस्त, 2022

[के. एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 - s.12A-वैधानिक पूर्व-संस्था मध्यस्थता पर विचार किया गया। 12 ए-आयोजितः अनिवार्य है-वादी द्वारा संस्था-पूर्व मध्यस्थता को समाप्त करना, उन सभी लाभों के साथ जो पक्षों को प्राप्त हो सकते हैं और, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समग्र रूप से न्याय वितरण प्रणाली, एस बनाएगी। 12 केवल एक प्रक्रियात्मक नहीं

प्रावधान 2018 में संशोधित अधिनियम की रूपरेखा और दायरा, जिसके द्वारा एस। 12 ए जोड़ा गया था, यह स्पष्ट करेगा कि संसद इसे एक अनिवार्य स्वाद देने का इरादा रखती है-कोई भी अन्य व्याख्या न केवल उपयोग की गई स्पष्ट भाषा के दांतों में होगी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम और नियमों के उद्देश्य की हताशा में परिणाम होगा-एस के जनादेश का उल्लंघन करते हुए स्थापित कोई भी मुकदमा। 12 क. क. क.

808 एम/एस। पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड

मध्यस्थता सांविधिक पूर्व-संस्था मध्यस्थता पर विचार किया गया वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का s.12A-आयोजितः केवल मुकदमों में प्रदान किया जाता है, जो किसी भी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करते हैं-इसलिए, पूर्व-संस्थान मध्यस्थता को केवल एक मामले में अनिवार्य किया गया है। मुकदमों का वर्ग-यही कारण है कि तत्काल अंतरिम राहत पर विचार करने वाले मुकदमों में, कानून देने वाले ने अदालतों के माध्यम से सामान्य रूप से विचार किए गए न्याय तक तत्काल पहुंच का सावधानीपूर्वक आश्वासन दिया है। मुकदमों के एक वर्ग से बाहर निकालना और उन्हें अनिवार्य मध्यस्थता के लिए चुनना, कानून के उद्देश्य की प्राप्ति के साथ सामंजस्य रखता है-वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 - s.12A।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.VII, आर. 11-दीवानी मुकदमा दायर करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं-एक दीवानी मुकदमे को कानून द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से रोका जा सकता है।

बेदखल किया जाना-किसी के पास यह तर्क देने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि उसे दीवानी मुकदमा दायर करने का अधिकार है, जिसे हटाया नहीं जा सकता है आदेश VII नियम 11 (डी) की उपस्थिति जो एक वाद की अस्वीकृति को अनिवार्य करती है जहां एक मुकदमा वर्जित है, इस सिद्धांत की याद दिलाती है कि दीवानी मुकदमा दायर करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश VII, आर. 11 (डी)-वह चरण जिस पर वाद को अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है-क्या शक्ति नियम के तहत केवल द्वारा दायर आवेदन पर प्रयोग किया जा सकता है

प्रतिवादी-आयोजितः Or.VII r. 11 यह प्रावधान नहीं करता है कि अदालत केवल एक आवेदन पर वाद को अस्वीकार करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। VII आर। 11 अदालत के पास स्वतः संज्ञान लेने के लिए उपलब्ध है-एक स्पष्ट मामले में, जहां मुकदमे में आरोपों पर, यह पाया जाता है कि मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, तो वाद को समन जारी किए बिना खारिज कर दिया जाना चाहिए।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए को केवल प्रक्रियात्मक कानून के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। थकाऊ पहले

वादी द्वारा संस्था मध्यस्थता, उन सभी लाभों के साथ जो पक्षों को प्राप्त हो सकते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समग्र रूप से न्याय वितरण प्रणाली, धारा 12ए को केवल प्रक्रियात्मक प्रावधान नहीं बनाएगी। 2018 में संशोधित अधिनियम की रूपरेखा और दायरा, जिसके द्वारा धारा 12ए को जोड़ा गया था, यह स्पष्ट करेगा कि संसद इसे अनिवार्य रूप देने का इरादा रखती है। कोई भी अन्य व्याख्या न केवल उपयोग की जाने वाली स्पष्ट भाषा के दांतों में होगी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि [2022] 11 एस. सी. आर. की हताशा में परिणाम होगा।

अधिनियम और नियमों का उद्देश्य। यदि कानून का उद्देश्य प्रावधान का पालन न करने से विफल हो जाता है, तो इसे अनिवार्य माना जाएगा। एक वादी में वाद स्थापित करने का अधिकार जो अधिनियम के तहत एक वाणिज्यिक मामले में तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करता है, स्पष्ट रूप से धारा 12 ए में प्रदान की गई कुछ शर्तों के पूरा होने से सशर्त है। इसकी तुलना किसी पक्ष को अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देने से नहीं की जा सकती है। उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि मुकदमे का अधिकार केवल तभी फलीभूत होगा जब धारा 12 ए की शर्तों को पूरा किया जाएगा। प्रावधान को प्रक्रियात्मक भी मानते हुए, परिणाम अलग नहीं हो सकता है। कोई अन्य दृष्टिकोण सी. पी. सी. की धारा 80 (1) को अनिवार्य मानने के आधार को हटा देगा। [पैरा 43] [838-ई-एच; 839 ए-बी]

2. अधिनियम के संदर्भ में, इसके जन्म से लेकर 2018 में संशोधन के साथ कानून देने वाले के कदम उठाने तक, अधिनियम को इस प्रकार पढ़ा गयाः

नियम एक आर्थिक प्रयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं जितना कि यह न्याय के प्रशासन के एक महत्वपूर्ण पहलू से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। वाणिज्यिक विवादों की स्पष्ट रूप से पहचान की गई है। मूल्य तय कर दिया गया है। विभिन्न चरणों में न्यायालयों पर विचार किया गया है। समय-सीमा पर विचार किया जाता है। कानून का पूरा उद्देश्य दिन की रोशनी के रूप में स्पष्ट है। वाणिज्यिक रंग के विवादों को उच्चतम स्तर के अभियान के साथ समाप्त किया जाना चाहिए। विवाद समाधान से झगड़ालू पक्षों के बीच विवाद समाप्त हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश को व्यापार करने में आसानी को बढ़ाकर पूंजी को आकर्षित करने वाला गंतव्य बनने के लिए जमीन तैयार करेगा। यह निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है कि व्यापार करने में आसानी और वाणिज्यिक मामलों में उत्पन्न होने वाले विवादों की शीघ्र और त्वरित समाप्ति के बीच सीधा संबंध है। जिस गति से किसी भी देश में न्याय वितरण प्रणाली डॉकेट विस्फोट की समस्या का जवाब देती है, विशेष रूप से वाणिज्यिक विवादों के क्षेत्र में, उस देश में व्यापार करने में आसानी का एक बहुत ही सुरक्षित सूचकांक माना जा सकता है। अतः उक्त अर्थ में यह अधिनियम वाणिज्यिक विवादों के निपटारे की गति को बढ़ाने के लिए एक अनूठा प्रयोग है। इसी पृष्ठभूमि में न्यायालय को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि क्या धारा 12 ए को अनिवार्य माना गया है।

प्रावधान। यही कारण है कि इस तरह के क़ानून की व्याख्या में उत्तर की खोज में निर्णायक तत्व विधानमंडल के इरादे का पता लगाना होना चाहिए। पहला सिद्धांत, एम/एस।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड

बेशक, व्याख्या का सुनहरा नियम होना चाहिए, जिसका अर्थ है, सरल भाषा के अनुरूप व्याख्या, जिसका उपयोग किया जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि धारा 12 ए में उपयोग की गई भाषा स्पष्ट रूप से अनिवार्य है। हालाँकि, इस न्यायालय का नेतृत्व केवल 'होगा' शब्द के उपयोग से नहीं होगा। यहां तक कि अधिनियम के उदात्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अपनी राय में पूरी तरह से मजबूत है कि पूर्व-संस्थान मध्यस्थता का उद्देश्य परिणाम उत्पन्न करना है, जिसका सीधा असर कानून देने वाले के महान लक्ष्यों की पूर्ति पर पड़ता है। यह स्पष्ट है कि

विधायिका ने एक मूल्य निर्णय प्रकट किया है। [पैरा 53] [847 सी-एच; 848-ए-बी]

3. सी. पी. सी. की धारा 9 कानून नहीं है, जो दीवानी मुकदमा दायर करने का अधिकार पैदा करती है। इसके लिए एक कानून की आवश्यकता होगी, आक्रमण करने के लिए, बिल्कुल या

सशर्त रूप से, किसी व्यक्ति का अपनी शिकायत को दीवानी अदालत में ले जाने का महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार। दीवानी मुक़दमे को कानून द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से रोका जा सकता है। दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र हो सकता है निकाल दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी को भी यह तर्क देने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि उसे दीवानी मुकदमा दायर करने का अधिकार है, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यह एक और मामला है कि अदालतें दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटाने का अनुमान हल्के में नहीं लेंगी। आदेश VII नियम 11 (डी) की उपस्थिति, जो एक की अस्वीकृति को अनिवार्य करती है

अभियोग, जहाँ एक मुकदमा वर्जित है, इस सिद्धांत का एक अनुस्मारक है कि दीवानी मुकदमा दायर करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। [पैरा 55] [848-जी-एच; 849-ए]

4. सी. पी. सी. के आदेश IV, V और VII की योजना पर विचार करने पर, न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचता है:

((क) वाद प्रस्तुत करके वाद शुरू किया जाता है। सीमा अधिनियम की धारा 3 (2) के संदर्भ में प्रस्तुत करने की तारीख उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए प्रस्तुत करने की तारीख है। हालाँकि, आदेश IV नियम 1 (3) के आधार पर, वाद की स्थापना केवल तभी पूरी होती है जब वाद-विवाद के अनुरूप हो।

आदेश VI और आदेश VII की आवश्यकता।

(बी) जब अदालत आदेश वी नियम 1 के तहत समन जारी करने के सवाल का फैसला करती है, तो अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कोई मुकदमा विधिवत स्थापित किया गया है।

(ग) आदेश VII नियम 11 में यह प्रावधान नहीं है कि न्यायालय केवल एक आवेदन पर वाद को अस्वीकार करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा।

वास्तव में, आदेश VII नियम 11 ऐसी किसी भी आवश्यकता के बारे में चुप है।

चूंकि समन एक विधिवत स्थापित मुकदमे में जारी किया जाना है, ऐसे मामले में जहां आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वाद पर रोक है, तब चरण उस समय शुरू होता है जब अदालत आदेश VII नियम 11 के तहत वाद को खारिज कर सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक स्पष्ट मामले को ले जाएगा जहां अदालत संतुष्ट है। न्यायालय को आदेश VII नियम 12 के तहत कारण देने के अलावा अपनी शक्ति का उपयोग करने से पहले वादी को सुनना होता है। एक स्पष्ट मामले में, जहां मुकदमे में आरोपों पर, यह पाया जाता है कि मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, जैसा कि मामला होगा, जहां वादी अधिनियम के तहत एक मुकदमे में परिस्थितियों का अनुरोध नहीं करता है

आदेश VII नियम 11 के तहत भी एक आवेदन। दूसरे शब्दों में, आदेश VII नियम 11 के तहत शक्ति अदालत को स्वतः ही प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है। [पैरा 68] [858-ई-एच; 859-ए-सी] 5. इस अधिनियम में मूल रूप से धारा 12 ए शामिल नहीं थी। वर्ष 2018 में संशोधन द्वारा धारा 12 ए को जोड़ा गया था। उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्पष्ट है कि धारा 12 ए को अनिवार्य माना गया था। अधिनियम का उद्देश्य और

राहत मिलती है। विधायिका ने गणना की सीमा के लिए मध्यस्थता के दौरान गुज़री अवधि को स्पष्ट रूप से बाहर करने का ध्यान रखा है सीमा अधिनियम, 1963। उद्देश्य स्पष्ट है। यह एक निर्विवाद वास्तविकता है कि भारत में अदालतें एक असाधारण विस्फोट की चपेट में हैं। एक वैकल्पिक विवाद तंत्र के रूप में मध्यस्थता की पहचान वाणिज्यिक मामलों में एक व्यवहार्य समाधान के रूप में की गई है। दूसरे शब्दों में, अधिनियम के तहत मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जा सकता है। किसी को भी दीवानी मुकदमा दायर करने का पूर्ण अधिकार नहीं है। एक दीवानी मुकदमे को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है या बार तब तक काम कर सकता है जब तक कि कुछ शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। सी. पी. सी. की धारा 80 और भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 69 ऐसे मामले हैं जो इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। धारा 12 ए में उपयोग की जाने वाली भाषा, जिसमें एम/एस शब्द शामिल है।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड

' निश्चित रूप से, यह अभिनिर्धारित करने में न्यायालय की सहायता करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा कि

प्रावधान अनिवार्य है। मध्यस्थता करने की पूरी प्रक्रिया को नियमों में वर्णित किया गया है। पक्ष मध्यस्थता के दौरान वकील को शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। जहाँ तक मध्यस्थ को देय शुल्क का संबंध है, खर्च एकमुश्त शुल्क तक सीमित है, जो विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतीत होता है कि इसे समान रूप से साझा किया जाना है। एक प्रशिक्षित मध्यस्थ चमत्कार कर सकता है। मध्यस्थता को न्याय तक पहुँच के एक नए तंत्र के रूप में देखा जाना चाहिए। धारा 12 ए, एक अनिवार्य व्याख्या देने के लिए न्यायालय की ओर से कोई भी अनिच्छा, इसके उद्देश्य और इरादे को विफल कर देगी।

संसद। तथ्य यह है कि मध्यस्थता एक गैर-स्टार्टर बन सकती है,

प्रावधान को अनिवार्य नहीं ठहराने का कारण नहीं हो सकता है। जाहिरा तौर पर, कानून देने वाले का मूल्य निर्णय प्रतिवादी के लिए कुछ हद तक स्वैच्छिकता का प्रावधान देना है, जबकि वादी, जो अदालत का दरवाजा खटता है, उसे अनिवार्य रूप से इसका सहारा लेना चाहिए। धारा 12 ए अधिनियम और नियमों के तहत समझौते को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 30 (4) के अर्थ के भीतर एक पुरस्कार के रूप में उन्नत करती है, जिससे इसे सार्थक प्रवर्तनीयता मिलती है। मध्यस्थता में बिताई गई अवधि को सीमा के उद्देश्य से बाहर रखा गया है। यह अधिनियम पक्षों के आचरण के आधार पर लागत का आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है। [पैरा 72] [861-डी-एच; 862-ए-डी]

6. अधिनियम की धारा 12 ए अनिवार्य है और धारा 12 ए के अधिदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी मुकदमे पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। आदेश VII नियम 11 के तहत शिकायत की अस्वीकृति। इस शक्ति का प्रयोग अदालत द्वारा स्वतः भी किया जा सकता है जैसा कि फैसले में पहले बताया गया था। इस घोषणा को 20.08.2022 से प्रभावी बनाया गया है ताकि संबंधित हितधारकों को पर्याप्त जानकारी मिल सके। हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि यदि दावे पहले ही खारिज कर दिए गए हैं और सीमा की अवधि के भीतर कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो इस घोषणा के आधार पर मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है। इसके अलावा, यदि शिकायत की अस्वीकृति के आदेश पर एक नया मुकदमा दायर करके कार्रवाई की गई है, तो संभावित प्रभाव की घोषणा से वादी को कोई लाभ नहीं होगा। अंत में, यदि क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय द्वारा घोषित किए जाने के बाद धारा 12 ए का उल्लंघन करते हुए शिकायत दायर की जाती है

धारा 12 ए अनिवार्य भी है, वादी राहत का हकदार नहीं होगा। [पैरा 84] [868-ए-डी] [2022] 11 एस।

कैलाश वी. नन्हकू और अन्य (2005) 4 एस. सी. सी. 480: [2005] 3 एससीआर 289-प्रतिष्ठित। मदिराजू वेंकट रमण राजू बनाम। पेद्दीरेडिगरी रामचंद्र रेड्डी और अन्य (2018) 14 एस. सी. सी. 1: [2018] 9 एससीआर 164; शरीफ-उद-दीन बनाम। अब्दुल गनी लोन (1980) 1 एस. सी. सी. 403 [1980] 1 एस. सी. आर. 1177 और विक्रम

बख्शी और अन्य बनाम। कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा सोनिया खोसला (मृत) (2014) 15 एससीसी 80 [2014] 6 एससीआर 762

पर भरोसा किया।

यू. पी. राज्य और अन्य बनाम बाबू राम उपाध्याय एयर 1961 एससी 751: [1961] 2 एस. सी. आर. 679; भीकराज जयपुरिया बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 113: [1962] 2 एस. सी. आर. 880; लक्ष्मी नारायण और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य ए. आई. आर 1976 एस. सी. 714 [1976] 2 एस. सी. आर. 785; बिहारी

चौधरी और अन्र। वी. बिहार राज्य और अन्य। (1984) 2 एससीसी 627 [1984] 3 एससीआर 309; गंगप्पा गुरुपदप्पा

गुगवाड़, गुलबर्गा बनाम। राचावा, लोचनाप्पा-गुडवाड़ की विधवा और अन्य (1970) 3 एस. सी. सी. 716: [1971] 2 एस. सी. आर. 691; सेठ लूनकरणसेठिया और अन्य बनाम। इवान ई. जॉन और अन्य एआईआर 1977 एससी 336: [1977] 1 एससीआर 853; सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन, टी. एन. बनाम. भारत संघ (2005) 6 एससीसी 344: [2005] 1 पूरक। एस. सी. आर. 929; प्रेम लाला नाहटा बनाम। चंडी प्रसाद सिकारिया

(2007) 2 एससीसी 551: [2007] 2 एससीआर 261; ए. पी. राज्य और अन्य बनाम पायनियर बिल्डर्स, ए. पी. (2006) 12 एस. सी. सी. 119 [2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 571; एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य v. चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2010) 8 एस. सी. सी. 24: [2010] 8 एस. सी. आर. 1053; रघुनाथ दास बनाम। भारत संघ और एक अन्य आकाशवाणी 1969 एससी 674: [1969] 1 एससीआर 450; ओलंपिक काड्र्स लिमिटेड बनाम। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

(2013) 1 सीटीसी 38; जरनैल सिंह और अन्य बनाम। लक्ष्मीनारायण गुप्ता और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 96; एल. सी. गोलक नाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य आकाशवाणी 1967 एस. सी. 1643: [1967] 2 एस. सी. आर. 762; ताहेराखातून (डी) एल. आर. एस. द्वारा। वी. सलामबीन मोहम्मद

(1999) 2 एससीसी 635: [1999] 1 एससीआर 901; एम/एस। सोमैया ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 2001 मेसर्स.

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड

एस. सी. आर. 1198; पटासीबाई और अन्य बनाम। रतनलाल (1990) 2 एस. सी. सी. 42 [1990] 1 एस. सी. आर. 172 और हर्ष ढींगरा बनाम।

हरियाणा राज्य और अन्य (2001) 9 एससीसी 550: [2001]

गंगा तारो वजीरानी बनाम। दीपक रहेजा 2021 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 195; धनबाद फ्यूल्स लिमिटेड बनाम। संघ का

भारत और अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन कलकत्ता 429; लक्ष्मी

पॉलीफैब प्रा. लिमिटेड वी. ईडन रियल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और

एक और एआईआर 2021 कलकत्ता 190; अवस्थी मोटर्स बनाम। प्रबंध निदेशक एम/एस। ऊर्जा विद्युत वाहन और

एक और आकाशवाणी 2021 इलाहाबाद 143; दीपक रहेजा बनाम।

गंगा तारो वजीरानी (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 3124;

मैकिन्टोश बर्न एंड नॉर्दर्न कंसोर्टियम और अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन कलकत्ता 1458 और क्योरविन

भागचंद दगादुसा गुजराती और अन्य। वी. सचिव ए. आई. आर. 1927 पी. सी. 176; ए. एल. ए. आर. वेल्लायन

चेट्टियार (दिसंबर) और अन्य बनाम। प्रांत की सरकार

मदुरा में रामनाड के कलेक्टर के माध्यम से मद्रास के

& एक अन्य AIR 1947 PC 197-संदर्भित।

रेजिना बनाम सेखोन (2003) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1655 और राष्ट्रीय

वेस्टमिंस्टर बैंक पीएलसी। वी. स्पेक्ट्रम प्लस लिमिटेड और अन्य।

(2005) यू. के. एच. एल. 41-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 9 एससीआर 164

उस पर भरोसा करें

पैरा

19

[1961] 2 एससीआर 679

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[1962] 2 एससीआर 880

संदर्भित किया गया है

पैरा

30

[1976] 2 एससीआर 785

संदर्भित किया गया है

पैरा

31

[1984] 3 एससीआर 309

संदर्भित किया गया है

पैरा

34

[1971] 2 एससीआर 691

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[1980] 1 एससीआर 1177

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4

[2005] 3 एससीआर 289

प्रतिष्ठित

पै

रा 4

[2005] 1 पूरक। एससीआर 929

संदर्भित किया गया है

पै

रा =

[2007] 2 एससीआर 261

पै

रा 4

संदर्भित किया गया है

[2006] 6 पूरक। एससीआर 571

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[2010] 8 एससीआर 1053

पै

रा 5

संदर्भित किया गया है

[2014] 6 एससीआर 762

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5

[1969] 1 एससीआर 450

संदर्भित किया गया है

पै

रा ई

[1990] 1 एससीआर 172

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[1967] 2 एससीआर 762

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[1999] 1 एससीआर 901

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[2001] 3 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[2007] 1 एससीआर 1198

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[2001] 3 पूरक। एससीआर 446

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

2022 तक।

सर्वोच्च के 09.09.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सिविल रिविजन बेयरिंग 1853-2021 (O & M) में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

के साथ

2022 की सिविल अपील संख्या 5334।

के साथ

2021 की विशेष अवकाश याचिका (सी) डायरी संख्या 29458।

संजीव आनंद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री सोनम आनंद, संतोष कुमार

आयुष नेगी, सुश्री विशाखा उपाध्याय, हिमांशु त्यागी, चा निकते, वर्णिता ओझा, अरूप बनर्जी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

साकेत सीकरी, सुश्री एकता कालरा सीकरी, अजयपाल सिंह कुल्लर,

मुद्गल, हेतू अरोड़ा सेठी, सुश्री सौम्या टंडन, अनिरुद्ध भट जैन, जॉय थट्टिल इट्टुप, बिजिश बी. टॉम, भूनू थिलक, श्रीमती प्रभा निखिल स्वामी, सुश्री दिव्या स्वामी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

एम/एस। पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. विचार के लिए जो मूल प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या 2018 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 12 ए के तहत विचार की गई वैधानिक पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता अनिवार्य है और क्या नीचे दिए गए न्यायालयों ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद 'सीपीसी' के रूप में संदर्भित) के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदनों को अनुमति नहीं देने में गलती की है, ताकि अधिनियम की धारा 12 ए के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना इन अपीलों में प्रतिवादियों द्वारा दायर दलीलों को अस्वीकार किया जा सके।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय, फरीदाबाद के समक्ष प्रार्थना करते हुए रुपये की वसूली के लिए। 1,00,40,291 / - एक निश्चित राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जो विवरण हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है। सूट 12.10.2020 पर रखा गया था।

4. अपीलार्थी उक्त मुकदमे में प्रतिवादी है। इसने आदेश VII नियम 10 और 11 के तहत 05.02.2021 पर एक आवेदन दायर किया। सी. पी. सी. की धारा 9 और 20, अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए कि मुकदमा था

अधिनियम की धारा 12 ए का पालन किए बिना दायर किया गया। प्रत्यर्थी ने अपना जवाब 23.03.2021 पर दाखिल किया। इसने इस मामले का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 12 ए का पालन न करने के लिए मुकदमा वर्जित नहीं था। 5. 23.03.2021 पर एक लिखित बयान दाखिल किया गया। आई. डी. 1 पर, विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी के तर्क को इस प्रकार खारिज कर दियाः

" 20. धारा 12 ए के केवल अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि प्रदान की गई प्रक्रिया प्रकृति में अनिवार्य है और यदि उक्त सिद्धांतों को लागू करके, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया जाता है, तो इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। अदालत का मानना है कि विधायिका का उक्त नियमों में इस तरह के कड़े प्रावधान बनाने का कोई इरादा नहीं है। धारा 12 ए का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत के समक्ष वाणिज्यिक विवाद दायर करने से पहले, विघटन के वैकल्पिक साधनों को अपनाया जाए ताकि वास्तविक मामले अदालत के समक्ष आ सकें। इसके अलावा, अदालत को यह भी प्रतीत होता है कि उक्त [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियमित न्यायालयों को हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।

यह उचित है कि गंगा के मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय तारा वजीरानी (ऊपर) ने माना कि प्रक्रिया के तहत प्रदान किया गया है

सजा के लिए और इसके बिना मुकदमा दायर करने में कोई प्रतिबंध नहीं है मध्यस्थता के उपाय को समाप्त करना, विशेष रूप से जब कोई प्रयास किया जाता है

यह स्पष्ट करने के लिए कि आवेदक का इरादा पहले से ही रहा है

किया और असफल रहा। तथ्य स्पष्ट है कि मुकदमा दायर करने से पहले,

प्रतिवादी/वादी ने ई-मेल और कानूनी नोटिस भेजा है और इसके बावजूद कि आवेदक/प्रतिवादी भुगतान करने में विफल रहा

देय राशि। इसके अलावा, यह अच्छी तरह से तय है कि प्रक्रिया और कानून हैं

न्याय की प्रगति के लिए और तकनीकी आधारों पर विफल करने के लिए नहीं।

कि दीवानी मुक़दमे को स्थगित रखा जा सकता है और दोनों पक्ष हैं सचिव, जिला कानूनी सेवाओं के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश

प्राधिकरण, फरीदाबाद मध्यस्थता के उद्देश्य से 26.08.2021 पर

वाणिज्यिक न्यायालयों की धारा 12 ए के प्रावधानों के अनुसार

अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम। इन दिशाओं के साथ, आवेदन का निपटारा कर दिया गया है "।

(जोर दिया गया)

6. अपीलार्थी ने सिविल संशोधन याचिका दायर की। का उच्च न्यायालय

हालाँकि, पंजाब और हरियाणा ने पैराग्राफ 20 में दिए गए निष्कर्ष की पुष्टि की और आगे कहा कि अदालतें पर्याप्त न्याय देने के लिए हैं। प्रक्रिया के नियम न्याय के सहायक होते हैं और न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं और उन्हें प्रक्रिया की तकनीकीताओं में नहीं फंसना चाहिए ताकि वे अपने मुख्य कर्तव्य की दृष्टि खो दें जो न्याय प्रदान करना है। यह भी पाया गया कि विवाद को मध्यस्थता केंद्र को भेजने का उद्देश्य समाधान का पता लगाना है। यदि मुकदमा प्रक्रिया का सहारा लिए बिना दायर किया जाता है, तो यह आगे पाया जाता है कि इसमें शिकायत की अस्वीकृति शामिल नहीं होनी चाहिए। विधायिका की यह मंशा नहीं हो सकती थी। यह आगे देखा गया है कि एक अधिनियम की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए

कि इसके परिणामस्वरूप 'विकृत न्याय' नहीं मिलता है। यह नोट किया गया कि निचली अदालत ने निर्देश दिया था कि दीवानी मुकदमे को स्थगित रखा जाए और पक्षों को जिला कानूनी सेवाओं के सचिव के समक्ष पेश होना था

मध्यस्थता के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण। गंगा तारो वजीरानीव मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर रिलायंस को रखा गया था। दीपक रहेजा '।

1 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 195 एम/एस.

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

7. 2022 के एसएलपी (सी) संख्या 5737 से उत्पन्न अन्य अपील में, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित किया गया है। पूर्व-मुकदमे का सहारा लिए बिना शुरू किए गए वाणिज्यिक मुकदमे में अपीलार्थी-प्रतिवादी द्वारा दायर एक समान आवेदन को अस्वीकार करना।

अधिनियम की धारा 12 ए के तहत मध्यस्थता। 8. एक और विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। , 2021 की एसएलपी डायरी संख्या 29458। यह एक आवेदन के साथ दायर किया जाता है

9. एसएलपी दाखिल करने की अनुमति के लिए एक आवेदन के साथ विशेष अनुमति याचिका का समर्थन किया जाता है। आवेदक विचाराधीन मुकदमे में पक्षकार नहीं है। हालाँकि, यह उनका मामला है कि एक मुकदमा लंबित है जिसमें इसी तरह का प्रश्न है उठती है। हालाँकि, हमने उक्त मामले में नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री शरत चंद्रन को अदालत को संबोधित करने की अनुमति दी, जो हमें विशुद्ध रूप से एक कानूनी मुद्दा प्रतीत हुआ। , अधिनियम की धारा 12 ए का अनुपालन न करने का प्रभाव। दूसरे शब्दों में, हमने हस्तक्षेप की अनुमति दी है, हालांकि एसएलपी दाखिल करने की अनुमति के लिए आवेदन में, किस आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाएगा। एस. एल. पी. भी।

अपीलार्थियों की प्रस्तुति

10. श्री संजीव आनंद, विद्वान वरिष्ठ वकील, एसएलपी (सी) सं. 5737 2022 का, प्रस्तुत करेगा कि न्यायालय, विवादित आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार अभिनिर्धारित करता है।

" 23. केंद्र सरकार ने दिनांक 03.07.2018 की अधिसूचना द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (पूर्व-संस्थान मध्यस्थता और निपटान) नियमों के नियम 3 (1) और 3 (7) बनाए हैं।

2018 , यह नीचे लिखा है:

3.मध्यस्थता प्रक्रिया की शुरुआत। -

(1) वाणिज्यिक विवाद का एक पक्ष या तो ऑनलाइन या डाक द्वारा या हाथ से, अनुसूची-I में निर्दिष्ट प्रपत्र-1 के अनुसार प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है, अधिनियम के तहत मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राधिकरण को देय एक हजार रुपये के शुल्क के साथ या तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या ऑनलाइन; [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(7) जहाँ वाणिज्यिक विवाद के दोनों पक्ष प्रकट होते हैं

प्राधिकरण के समक्ष और मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमति देते हुए, प्राधिकरण वाणिज्यिक विवाद को एक मध्यस्थ को सौंपेगा और पहले उनकी उपस्थिति के लिए एक तारीख तय करेगा। उक्त मध्यस्थ।

24. यद्यपि अधिनियम की धारा 12 ए में 'विल' शब्द, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत मुकदमा दायर करने से पहले निपटान का पता लगाने के लिए वादी की ओर से पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता अनिवार्य लगता है, नियम में 'विल' शब्द का उपयोग किया गया है और इसे एक वैकल्पिक बनाता है। इसके अलावा अगर एक पक्ष मुकदमे से पहले मध्यस्थता के लिए जाता है तो दूसरा पक्ष आसानी से मध्यस्थता में भाग लेने से दूर रह सकता है। और इसे गैर-स्टार्टर बनाएँ। अन्यथा, मध्यस्थ तभी आगे बढ़ सकता है जब दोनों पक्ष उपस्थित हों और मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमति दें। इस प्रकार, यह बहुत स्पष्ट है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम और बनाए गए नियमों के संयुक्त अध्ययन पर

इसके तहत, मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता किसी भी अंतरिम राहत और छोड़ने वाले पक्षों की सहमति के लिए तात्कालिकता के अधीन है। 25. ऐसी परिस्थितियों में, सामंजस्यपूर्ण व्याख्या लेता है

हम इस अटूट निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12-ए एक अनिवार्य प्रावधान नहीं है। न्याय तक पहुँच के अधिकार, जो एक संवैधानिक अधिकार है, को मध्यस्थता का सहारा नहीं लेने के लिए अस्वीकार या वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय इसका विकल्प नहीं है

वैकल्पिक विवाद निवारण, यह अन्यथा है। मध्यस्थता की संभावना का पता लगाए बिना सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए वादी को न्याय के द्वार से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है, यदि प्रतिवादी मध्यस्थता के लिए तैयार है, मुकदमे की स्थापना के बाद भी। इसके अलावा पक्ष या न्यायालय के लिए लंबित मामले को मध्यस्थता या किसी अन्य वैकल्पिक विवाद के माध्यम से हल करने के लिए संदर्भित करने में कोई बाधा नहीं है।

मुकदमेबाजी की प्रतिकूल प्रणाली में शामिल हुए बिना एक सौहार्दपूर्ण समझौता करें। इस धारा का उद्देश्य न्याय तक पहुँच को रोकना या किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करना नहीं है जो स्वयं के अधीन होने से इनकार करता है। न्यायिक प्रक्रिया। इरादा प्रक्रियात्मक कठोरता से बचना और एक सौहार्दपूर्ण जीत-जीत समझौते पर पहुंचना है। इरादे के विपरीत अधिनियम की धारा 12-ए की कोई अन्य व्याख्या न्याय की विफलता के बराबर होगी। इसलिए, यह न्यायालय मानता है कि वाद की अस्वीकृति की मांग करने वाले इस आवेदन पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।

इसलिए, आवेदन को Rs.10,000/- की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। एम/एस।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

11. वह प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से गलती की है। वह प्रस्तुत करेगा कि अधिनियम में लागू हुआ वर्ष 2015। वर्ष 2018 में किए गए संशोधन से धारा 12 ए को शामिल किया गया।

12. उन्होंने हमें उद्देश्यों और कारणों के कथन के माध्यम से ले जाया। वह न्यायालय की स्वीकृति के लिए इस विचार की सराहना करेंगे कि

भारत में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने और वाणिज्यिक न्यायालयों को बंद करने के एक निश्चित उद्देश्य के साथ कानून बनाया गया था, जिन्हें वाणिज्यिक मामलों को जल्दी से निपटाने का एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था और जो न्यायालय के दिमाग में सर्वोच्च होना चाहिए। 13. वह प्रस्तुत करेगा कि यदि आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन की अनुमति दी जाती है और सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 13 को देखते हुए धारा 12 ए के गैर-अनुपालन के लिए शिकायत को खारिज कर दिया जाता है, तो कार्रवाई के समान कारण पर कोई पूर्वाग्रह नहीं है, वादी अधिनियम की धारा 12 ए के अधिदेश का पालन करने के बाद एक नया मुकदमा ला सकता है।

14. वह इंगित करेंगे कि सबसे विशेष रूप से कानून देने वाले ने धारा 12 ए में 'विल' शब्द का उपयोग किया है। विधान के उद्देश्य के संदर्भ में 'होगा' शब्द को अनिवार्य माना जाना चाहिए। वह शिकायत करेगा कि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ विधान में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ की ठीक से सराहना नहीं की है। , वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व-संस्थान मध्यस्थता और निपटान) नियम, 2018 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) नियम 3 में "मई" शब्द के उपयोग के संबंध में। वह प्रस्तुत करेगा कि यह केवल विवेकाधिकार को संदर्भित करता है वादी उस विशेष तरीके के संबंध में जिसे चुना जाना है जैसा कि उसमें विचार किया गया है। अनिवार्य शब्दों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए

मूल विधान में अनिवार्य अर्थ में, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि मूल अधिनियम में प्रावधान को केवल निर्देशिका के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून का उत्कृष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से अदालत को रोक-टोक से मुक्त करना है, विशेष रूप से मौद्रिक मूल्य को 1 करोड़ रुपये से घटाकर 3 लाख रुपये करने के संबंध में। दूसरे शब्दों में, संशोधन के आधार पर, विधानमंडल इस तथ्य से अवगत था कि मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी जो

बड़ा उपाय व्यापार करने में आसानी पर निर्भर करेगा, इसका उद्देश्य दिन के उजाले के रूप में स्पष्ट है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट रूप से गलती की है। 15. अन्य अपीलों में अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री आयुष नेगी भी इसी तर्ज पर दलीलों को संबोधित करेंगे।

उनके

मामले में, उन्होंने [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह प्रस्तुत करेगा कि विचारण न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है कि धारा 12 क के गैर-अनुपालन के लिए वाणिज्यिक मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता है और विचारण न्यायालय ने गलती से संस्थान के बाद की मध्यस्थता को धारा 12 क के तहत विचारित पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता के अनुपालन के समान माना है।

16. वह प्रस्तुत करेगा कि सादा भाषा और का उद्देश्य

न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में विधान की अनदेखी की गई है जैसा कि विवादित आदेश में टिप्पणियों से स्पष्ट है।

17. अपीलार्थियों के दोनों वकील एक समानांतर रेखा खींचेंगे।

धारा 80 सी. पी. सी. में उपयोग की गई भाषा और उक्त प्रावधान द्वारा उत्पन्न मामले के कानून के बीच यह तर्क देने के लिए कि धारा 12 ए अनिवार्य है। समान रूप से, भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69 के तहत दिए गए निर्णयों से समर्थन प्राप्त करने की मांग की जाती है। 18. श्री शरत चंद्रन, विद्वान वकील जो 2021 की एसएलपी (सी) डायरी संख्या 29458 में उपस्थित होते हैं, बताते हैं कि प्रक्रिया

धारा 12 ए के तहत विचार करना अनिवार्य है।

19. श्री शरत चंद्रन ने आगे कहा कि गंगा तारो (ऊपर) मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दीपक रहेजा बनाम मामले में खंड पीठ द्वारा उलट दिया गया है। गंगा तारो वजीरानी 2. उन्होंने अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों को इस न्यायालय के ध्यान में लाया है। यह उनका तर्क है कि उद्देश्यों और कारणों के कथन के संदर्भ में, कानून मंत्री द्वारा दिया गया भाषण और कानून निर्माता के इरादे के साथ इस्तेमाल की गई सरल भाषा यह स्पष्ट करती है कि धारा 12 ए अनिवार्य है। हालाँकि, उन्होंने वाद की प्रस्तुति और वाद की स्थापना के बीच अंतर बताया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैवाहिक विवादों और विवादों में पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता का संज्ञान लिया है। वह आगे तर्क देंगे कि अदालत बिना किसी आवेदन के वाद को स्वतः ही खारिज कर सकती है। वह मदिराजू वेंकट रमण राजू बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है।

पेद्दीरेडिगरी रामचंद्र रेड्डी और अन्य 3. हालाँकि, उनका तर्क है कि मुकदमे की स्थापना के खिलाफ प्रतिबंध आवश्यक रूप से न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे उन मामलों में रखी जाने वाली व्याख्या के संबंध में प्रस्तुत किया है जहां तत्काल अंतरिम राहत और उचित प्रक्रिया पर विचार किया गया है।

2 (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 3124 3 3 (2018) 14 एस. सी. सी. 1 एम/एस.

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

20. इसके विपरीत, श्री साकेत सीकरी, विद्वान वकील जो एसएलपी (सी) नं. 14697 2021 का, यह तर्क देगा कि धारा 12 ए को वास्तव में निर्देशिका के रूप में समझा जाना है। वह प्रस्तुत करता है कि इस क्रम में कि एक वैधानिक प्रावधान में 'शब्द' के रूप में माना जाएगा अनिवार्य रूप से, न्यायालयों द्वारा नियोजित प्रमुख परीक्षणों में से एक यह सवाल पूछना है कि क्या प्रावधान के लिए दंडात्मक परिणामों पर विचार किया गया है

प्रावधान की अवज्ञा। वह इंगित करेंगे कि धारा 12 ए का पालन किए बिना मुकदमा दायर करने के लिए धारा 12 ए में कोई दंडात्मक परिणाम नहीं बताया गया है।

21. इसके बाद, वह बताएगा कि धारा 12 ए के प्रावधानों का पालन किए बिना मुकदमा दायर करने से किसी भी कानूनी अधिकार को प्रभावित नहीं करता है।

प्रतिवादी। यह केवल एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पक्षों के बीच समझौता करना है।

वह आगे तर्क देता है कि उसके मामले में अदालत द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम ने प्रतिवादी की चिंताओं को भी संबोधित किया है। इसके लिए

इसका कारण यह है कि न्यायालय ने मुकदमे की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है और पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा है। इस संदर्भ में, वह इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि मध्यस्थता की शपथ लेने वाले अपीलार्थी ने मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग नहीं लेकर इसे गैर-प्रारंभिक बना दिया है।

22. वह प्रस्तुत करेगा कि धारा 12 ए के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, न्याय के हित को कम किया जाएगा यदि उसके मामले में न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि वाद की स्थापना के तुरंत बाद न्यायालय पक्षकारों को

मध्यस्थता, अपीलकर्ताओं को पूर्व संस्था मध्यस्थता पर जोर देने में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में, वह इस बात पर जोर देंगे कि धारा 12 ए में विचार की गई पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता किसी न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जबकि मध्यस्थता को प्रोत्साहित किया जाना है, न्यायालय दृष्टि नहीं खो सकता है

इस तथ्य के बारे में कि मामले में न्यायालय द्वारा दो चरम सीमाओं के बीच आधे रास्ते का प्रयास किया गया है, जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है कि कोई दंडात्मक परिणाम प्रदान नहीं किए गए हैं और प्रतिवादी का कोई अधिकार खतरे में नहीं है।

23. इसके बाद वह अदालत की फीस के पहलू की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। वह प्रस्तुत करेगा कि वादी विचाराधीन कानून के तहत पूरे अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य है। जब आदेश VII नियम 11 के तहत शिकायत खारिज हो जाती है, तो वादी को पूरे अदालत शुल्क का नुकसान होता है। यह तर्क दिया जाता है कि यह उन परिणामों में से एक है जिन पर इस न्यायालय को ध्यान नहीं देना चाहिए।

यहाँ फिर से, मामले में अपनाई गई प्रक्रिया की धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में हमारी स्वीकृति के लिए सराहना की जाती है। 12 ए जो एक ही समय में, वादियों के लिए ऐसे विनाशकारी परिणामों तक नहीं पहुंचेगा।

वह एक याचिका के संभावित परिणाम पर भी बात करता है

पहले वाद की अस्वीकृति के बाद वादी के एक नए वाद पर भारी सीमा।

विश्लेषण 24.
अधिनियम की धारा 12 ए इस प्रकार हैः

12 ए. संस्था-पूर्व मध्यस्थता और निपटान-(1) एक मुकदमा, जो इस अधिनियम के तहत किसी भी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करता है, तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि वादी केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके और प्रक्रिया के अनुसार संस्था-पूर्व मध्यस्थता के उपचार को समाप्त नहीं कर देता है।

(2) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के तहत गठित प्राधिकरणों को संस्था-पूर्व मध्यस्थता के उद्देश्यों के लिए अधिकृत कर सकती है। (3) कानूनी सेवाओं में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39), उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण मध्यस्थता की प्रक्रिया को तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा करेगा।

उप-धारा (1) के तहत वादी द्वारा किए गए आवेदन की तारीखः

बशर्ते कि मध्यस्थता की अवधि पक्षों की सहमति से दो महीने की और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती हैः

बशर्ते कि जिस अवधि के दौरान पक्ष पूर्व-संस्था मध्यस्थता में व्यस्त रहे, ऐसी अवधि एम/एस।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

के तहत सीमा के उद्देश्य के लिए गणना नहीं की जाएगी

सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)।

(4) यदि वाणिज्यिक विवाद के पक्षकार किसी समझौते पर पहुँचते हैं, तो उसे लिखित रूप में कम कर दिया जाएगा और उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। विवाद के पक्षकार और मध्यस्थ।

(5) इस धारा के तहत किए गए समझौते की वही स्थिति और प्रभाव होगा जैसे कि यह सहमति पर एक मध्यस्थता पुरस्कार है। मध्यस्थता की धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत शर्तें और

सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26)। "

25. यह अधिनियम वर्ष 2015 में लागू किया गया था। उस समय, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी मुकदमे के लिए मौद्रिक सीमा निर्धारित की गई थी

1 करोड़ रु. 26. तीन वर्षों के दौरान, कुछ विशेषताओं को देखते हुए, संसद ने अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसलिए, वर्ष 2018 में,

अधिनियम में वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 28) (जिसे इसके बाद "संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा संशोधन किया गया।

27. यह उचित है कि हम संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों के बयान पर ध्यान देते हैं:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

2. वैश्विक आर्थिक माहौल तब से तेजी से प्रतिस्पर्धी हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को आकर्षित करने के लिए भारत को विश्व बैंक की 'डूइंग' रैंकिंग में और सुधार करने की आवश्यकता है। बिजनेस रिपोर्ट 'जो, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में विवाद समाधान वातावरण को व्यवसाय करने के मापदंडों में से एक मानती है। इसके अलावा, जबरदस्त आर्थिक विकास ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सार्वजनिक निजी भागीदारी आदि सहित भारी वाणिज्यिक गतिविधियों की शुरुआत की है, जिसने त्वरित निपटान [2022] 11 एस. सी. आर. के लिए विधायी उपायों को शुरू करने के लिए प्रेरित किया है।

वाणिज्यिक विवादों से निपटने के लिए न्यायालयों के दायरे का विस्तार करना और व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करना। कहने की जरूरत नहीं है कि और भी कम मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का जल्द समाधान निवेशकों के बीच सकारात्मक छवि बनाता है

मजबूत और उत्तरदायी भारतीय कानूनी प्रणाली के बारे में। इसलिए वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

और उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 का वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग।

3. चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभागों और वाणिज्यिक प्रभागों में आवश्यक संशोधन करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 का अपीलीय प्रभाग, 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' में भारत की रैंकिंग में और सुधार करने के लिए, राष्ट्रपति ने वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग और

(संशोधन) उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग को बदलने के लिए विधेयक, 2018 न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश, 2018, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान करता है:

वाणिज्यिक विवादों के निर्दिष्ट मूल्य को कम करने के लिए

((i)

मौजूदा एक करोड़ रुपये से तीन लाख रुपये तक, और वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए पक्षों को अधीनस्थ अदालतों के निम्नतम स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाना; उच्च के संबंध में राज्य सरकारों को सक्षम बनाने के लिए

((ख)

जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन करने और वाणिज्यिक विवादों के ऐसे आर्थिक मूल्य को निर्दिष्ट करने के लिए सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय जो तीन लाख रुपये से कम और तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होंगे।

जिला न्यायालयों की आर्थिक अधिकारिता;

(iii)

क्षेत्रों को छोड़कर राज्य सरकारों को सक्षम बनाने के लिए

जिन पर उच्च न्यायालयों के पास सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र है, वे नीचे दिए गए वाणिज्यिक न्यायालयों पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए जिला न्यायाधीश स्तर पर इतने सारे वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालयों को नामित करते हैं।

जिला न्यायाधीश स्तर; एस. पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. चेजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

((iv) राज्य सरकारों को किसी वाणिज्यिक विवाद का ऐसा आर्थिक मूल्य निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाने के लिए जो पूरे या पूरे के लिए तीन लाख रुपये से कम या ऐसा अधिक मूल्य न हो।

राज्य का हिस्सा; और

एक संस्था के समक्ष अनिवार्य मध्यस्थता का प्रावधान करना

(v)

मुकदमा, जहां कोई तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं किया गया है और इस उद्देश्य के लिए, पूर्व-संस्थान मध्यस्थता शुरू करना और

निपटान तंत्र और केंद्र को सक्षम बनाने के लिए

सरकार इस उद्देश्य के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित प्राधिकरणों को अधिकृत करेगी।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

28. तदनुसार, संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 12ए जोड़ी गई। हम उन नियमों को देख सकते हैं जो एज़ेट में प्रकाशित हुए और इस तरह 03.07.2018 पर लागू हुए। नियम 3 इस प्रकार है

बनाम ः

" 3. मध्यस्थता प्रक्रिया की शुरुआत। -

(1) वाणिज्यिक विवाद का एक पक्ष अनुसूची-I में निर्दिष्ट प्रपत्र-1 के अनुसार प्राधिकरण को या तो ऑनलाइन या डाक द्वारा या हाथ से मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) प्राधिकरण, क्षेत्रीय को ध्यान में रखते हुए और आर्थिक अधिकारिता और वाणिज्यिक विवाद की प्रकृति, मुद्दा

अनुसूची-I में निर्दिष्ट प्रपत्र-2 के अनुसार एक पंजीकृत या स्पीड पोस्ट और ई-मेल सहित इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से एक सूचना

उक्त सूचना जारी होने की तारीख से दस दिनों की अवधि से अधिक नहीं, ऐसी तारीख को मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपस्थित होने और सहमति देने के लिए विरोधी पक्ष को। (3) जहां विरोधी पक्ष से डाक या ई-मेल द्वारा कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, प्राधिकरण उसे अंतिम सूचना जारी करेगा।

उप-नियम (2) में निर्दिष्ट रीति।

(4) जहाँ उप-नियम (3) के तहत जारी की गई सूचना बनी रहती है।

अस्वीकृत या जहां विरोधी पक्ष मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करता है, प्राधिकरण मध्यस्थता प्रक्रिया को गैर-प्रारंभिक मानेगा और अनुसूची-I में निर्दिष्ट प्रपत्र 3 के अनुसार एक रिपोर्ट बनाएगा और आवेदक और विरोधी पक्ष को इसका समर्थन करेगा।

2] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(5) जहां विरोधी पक्ष, उप-नियम (2) या (3) के तहत नोटिस प्राप्त करने के बाद अपनी उपस्थिति के लिए और समय मांगता है, प्राधिकरण, यदि वह उचित समझता है, तो बाद में एक वैकल्पिक तारीख तय कर सकता है।

विपरीत से इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से दस दिन

पार्टी।

विरोधी पक्ष।

(7) जहां वाणिज्यिक विवाद के दोनों पक्ष प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होते हैं और मध्यस्थता में भाग लेने के लिए सहमति देते हैं

प्रक्रिया में, प्राधिकरण वाणिज्यिक विवाद को एक मध्यस्थ को सौंपेगा और उक्त मध्यस्थ के समक्ष उनकी उपस्थिति के लिए एक तारीख तय करेगा।

(8) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यस्थता प्रक्रिया संस्था-पूर्व मध्यस्थता के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाता है जब तक कि आवेदक और विरोधी पक्ष की सहमति से अवधि को और दो महीने के लिए नहीं बढ़ाया जाता है।

हम इस नियम के प्रभाव का विज्ञापन करेंगे और बाद में अन्य नियमों का भी विज्ञापन करेंगे।

स्मृति मार्ग को नीचे करें

29. पाँच विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने निर्णय में बताया

यू. पी. राज्य में और अन्य बनाम बाबू राम उपाध्याय ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या पुलिस अधिनियम की धारा 7 के तहत बनाए गए पुलिस विनियमों का अनुच्छेद-486 अनिवार्य था या नहीं। वास्तव में, उक्त अनुच्छेद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत मजिस्ट्रेट जांच को वर्जित करने के लिए कथित था, जब पुलिस अधिकारी के खिलाफ कथित अपराध पुलिस अधिनियम की धारा 7 के तहत केवल एक था। बहुमत के लिए लिखी गई राय में, न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने व्याख्या से संबंधित प्रासंगिक नियमों का सारांश दिया, जब क़ानून 'होगा' शब्द का उपयोग करता हैः

" 29. व्याख्या के प्रासंगिक नियमों को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता हैः जब कोई क़ानून "होगा" शब्द का उपयोग करता है, तो प्रथम दृष्टया, यह अनिवार्य है,

5 ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 751 एस. पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. वी. चेजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

लेकिन न्यायालय कानून के पूरे दायरे में सावधानीपूर्वक ध्यान देकर विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगा सकता है। के लिए

विधानमंडल के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए न्यायालय

अन्य बातों के साथ-साथ, कानून की प्रकृति और रूपरेखा पर विचार करें, और उन परिणामों पर विचार करें जो इसे एक या दूसरे तरीके से समझने से होंगे, अन्य प्रावधानों का प्रभाव जिससे संबंधित प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता से बचा जाता है, अर्थात्, कि कानून एक

प्रावधानों का पालन न करने की आकस्मिकता, यह तथ्य कि प्रावधानों का पालन न करने पर कोई जुर्माना लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है, इसके गंभीर या तुच्छ परिणाम सामने आते हैं। वहाँ से, और, सबसे बढ़कर, क्या कानून का उद्देश्य होगा

पराजित या आगे बढ़े।

30. भिकराज जयपुरिया बनाम। भारत संघ, पाँच की एक पीठ

न्यायाधीशों ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 175 (3) से उत्पन्न प्रश्न पर विचार किया। न्यायालय को, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रश्न पर विचार करना था कि क्या अधिनियम को निर्देशिका माना जाना चाहिए या

एटोरीः

विधानमंडल के इरादे के आलोक में निर्णय लिया गया जैसा कि क़ानून के उद्देश्य, उद्देश्य और दायरे द्वारा प्रकट किया गया है। यदि कानून है अनिवार्य रूप से, निर्धारित तरीके या रूप में नहीं की गई चीज़ का कोई प्रभाव या वैधता नहीं हो सकती हैः यदि यह निर्देशिका है, तो जुर्माना हो सकता है

गैर-अनुपालन के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन किया गया कार्य या कार्य अच्छा माना जाता है। जैसा कि क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल में देखा गया है,

10 टी एडन। , पी। 376 :

" यह कहा गया है कि यह निर्धारित करने के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्या आदेश को केवल एक निर्देश या निर्देश के रूप में माना जाना चाहिए जिसमें कोई अमान्य परिणाम शामिल नहीं है।

उपेक्षा, या अनिवार्य रूप से, एक निहित शून्यीकरण के साथ

अवज्ञा, मौलिक से परे है कि यह अधिनियम के दायरे और उद्देश्य पर निर्भर करता है। शायद यह कहना आम तौर पर सही पाया जा सकता है कि निरस्तीकरण अवज्ञा का स्वाभाविक और सामान्य परिणाम है, लेकिन सवाल मुख्य रूप से है

सुविधा और न्याय के विचारों द्वारा शासित, और

जब उस परिणाम में सामान्य असुविधा शामिल होगी या

निर्दोष व्यक्तियों के साथ अन्याय, या उपेक्षा के दोषी लोगों को लाभ, अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य और उद्देश्य को बढ़ावा दिए बिना, इस तरह के इरादे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए

विधायिका। विचाराधीन क़ानून के पूरे दायरे और उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए।

लिवरपूल बरो बैंक बनाम में लॉर्ड कैंपबेल। टर्नर [(1861) 30 एलजे सीएच 379] ने कहाः

अवज्ञा के लिए एक निहित शून्यीकरण के साथ। यह कर्तव्य है कि न्याय की अदालतें कानून के पूरे दायरे को ध्यान से ध्यान में रखते हुए विधायिका के वास्तविक इरादे को प्राप्त करने का प्रयास करें।

31. लछमी नारायण और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य,

न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार अभिनिर्धारित करता हैः

" 66. धारा 6 (2), जैसा कि यह विवादित अधिसूचना से तुरंत पहले थी, राज्य सरकार से अधिसूचना द्वारा देने की अपेक्षा करती है।

आधिकारिक राजपत्र में दूसरी अनुसूची में जोड़ने या उसमें से हटाने या अन्यथा संशोधन करने के अपने इरादे की "कम से कम 3 महीने की सूचना" दी गई है। इस समस्या की प्राथमिक कुंजी कि क्या एक वैधानिक प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशिका, कानून निर्माता का इरादा है

कानून में ही व्यक्त किया गया। प्रावधान के पीछे का कारण हो सकता है

उस इरादे का पता लगाने के लिए एक और सहायता हो। अगर विधायी आशय स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से अनिवार्य रूप से व्यक्त किया जाता है।

शब्द, जैसे कि "होगा" के बजाय "चाहिए" का उपयोग, जो स्वयं प्रावधान को अनिवार्य ठहराने के लिए पर्याप्त होगा, और यह नहीं होगा

1976 एससी 714 एस. पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. हेजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

जाँच को आगे बढ़ाना आवश्यक होगा। यदि प्रावधान है

निषेधात्मक या नकारात्मक भाषा में, यह शायद ही कभी निर्देशिका हो सकती है, नकारात्मक रूप में आकस्मिक भाषा का उपयोग इस आशय का संकेत है कि प्रावधान अनिवार्य होना है। (क्रॉफर्ड, क़ानूनों का निर्माण, पीपी। 523-24) . यहाँ धारा 6 की उप-धारा (2) की भाषा जोरदार रूप से निषेधात्मक है, यह सरकार को स्पष्ट नकारात्मक शब्दों में आदेश देती है कि अपेक्षित सूचना की अवधि तीन महीने से कम नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार, 'मस्ट' और 'मस्ट' शब्दों के बीच एक अंतर माना गया।

32. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील ने समर्थन प्राप्त करने की मांग की

सिविल संहिता की धारा 80 के तहत दिए गए निर्णय

ड्यूरे, 1908 (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.')। 1976 के 104 नंबर के प्रभावी संशोधन के बाद, धारा 80 इस प्रकार हैः

" (1) उप-धारा (2) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, सरकार (सरकार सहित) के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर राज्य का) या किसी लोक अधिकारी के खिलाफ किसी ऐसे कार्य के संबंध में जो ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में किया जाना अभिप्रेत है, जब तक कि लिखित रूप में सूचना दिए जाने के बाद अगले दो महीने की समाप्ति नहीं हो जाती है, या उसके कार्यालय में छोड़ दिया जाता है।

(क) केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमे के मामले में, सिवाय इसके कि यह रेलवे से संबंधित है, उस सरकार का सचिव;

और, किसी लोक अधिकारी के मामले में, उसे कार्रवाई का कारण, वादी का नाम, विवरण और निवास स्थान और राहत जो वह दावा करता है, बताते हुए उसके कार्यालय में सौंप दिया गया या छोड़ दिया गया; और वाद में एक बयान होगा कि ऐसी सूचना इस तरह से दिया गया है या छोड़ दिया गया है।

और कश्मीर) या किसी लोक अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में, उप-धारा (I) द्वारा अपेक्षित किसी भी सूचना की तामील किए बिना, न्यायालय की अनुमति से स्थापित किया गया; लेकिन न्यायालय वाद में राहत, चाहे वह अंतरिम हो या अन्यथा, सरकार या लोक अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, राहत के संबंध में कारण दिखाने का एक उचित अवसर देने के अलावा नहीं देगा।

सूटः

बशर्ते कि न्यायालय, यदि पक्षकारों को सुनने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि वाद में कोई तत्काल या तत्काल राहत देने की आवश्यकता नहीं है, तो निम्नलिखित का पालन करने के बाद वाद को प्रस्तुत करने के लिए उसे वापस कर देगाः उप-धारा (1) की आवश्यकताएँ।

(3) ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में सरकार या किसी लोक अधिकारी के खिलाफ दायर किसी भी मुकदमे को केवल कारण से खारिज नहीं किया जाएगा। उप-धारा (I) में निर्दिष्ट सूचना में किसी त्रुटि या दोष का, यदि ऐसी सूचना में हो।

(क) वादी का नाम, विवरण और निवास था

इस प्रकार दिया गया है ताकि उपयुक्त प्राधिकारी या लोक अधिकारी नोटिस देने वाले व्यक्ति की पहचान कर सके और ऐसी सूचना दी गई थी या उपयुक्त के कार्यालय में छोड़ दी गई थी।

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, और

(ख) कार्रवाई का कारण और वादी द्वारा दावा की गई राहत का काफी हद तक संकेत दिया गया था। ”

33. वास्तव में, धारा 80 की उप-धाराएँ (2) और (3) संशोधन के आधार पर जोड़ी गईं। धारा 80 (1) के अनुसार -

उप-धारा (2) को अंतःस्थापित करने के बाद, प्रारंभिक शब्द "उप-धारा (2) में अन्यथा दिए गए शब्दों को छोड़कर" अंतःस्थापित किए गए। धारा 80 में अन्य परिवर्तन भी किए गए थे, जिन्हें धारा 80 (1) से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। भागचंद दगादुसा गुजराती में रिपोर्ट किए गए निर्णय में प्रिवी काउंसिल का निर्णय

और ओआरएस। वी. भारत के राज्य सचिव ने पिछले नोटिस की आवश्यकता की अनिवार्य प्रकृति के बारे में विवाद को विराम दिया

8 एयर 1927 पी. सी. 176 एस. पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. चेजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]धारा 80 का पालन करना। हमें केवल इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह न्यायालय मद्रास राज्य बनाम में निर्णय में क्या है। सी. पी. एजेंसियाँ और अन्य 9:

" 1. ..... धारा 80 की भाषा ही इसे स्पष्ट करती है, और न्यायिक समिति द्वारा भागचंद दागदुसा बनाम में ऐसा माना गया है। सिकरी। राज्य का, 54 भारतीय ऐप 338: (ए. आई. आर. 1927 पी. सी. 176) जो निर्णय उसी न्यायाधिकरण द्वारा बाद के कई मामलों में अपनाया गया है कि धारा 80 स्पष्ट, स्पष्ट और अनिवार्य है और कोई निहितार्थ या अपवाद स्वीकार नहीं करती है।

34. बिहारी चौधरी और अन्न में। वी. बिहार राज्य और अन्य "। , सी. पी. सी. की धारा 80 के प्रभाव में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित कियाः

“ 3. .....

धारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ एक प्रतिबंध लगाने के लिए है

सरकार या किसी लोक अधिकारी के खिलाफ उसके द्वारा अपने अधिकारी में किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में मुकदमा दायर करना।

सरकार के सचिव या संबंधित जिले के कलेक्टर के कार्यालय में लिखित सूचना दिए जाने या छोड़ दिए जाने के बाद दो महीने की समाप्ति तक क्षमता और किसी लोक अधिकारी के मामले में उसे दिया गया या उसके कार्यालय में छोड़ दिया गया, जिसमें धारा की उप-धारा (1) के अंतिम भाग में उल्लिखित विवरण बताए गए हैं। जब हम धारा की योजना की जांच करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा को सार्वजनिक करने के उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया है।

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति कि सरकार या किसी लोक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले, सरकार या संबंधित अधिकारी को उस दावे की जांच करने का अवसर दिया जाए, जिसके संबंध में मुकदमा दायर करने का प्रस्ताव है और यदि यह एक न्यायसंगत दावा पाया जाता है, तो तत्काल कार्रवाई करें और इस तरह अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचें और सार्वजनिक समय और धन की बचत करें ताकि उस व्यक्ति को, जिसने नोटिस जारी किया है, प्रेरित किए बिना दावे का निपटारा किया जा सके, जिसमें काफी खर्च और देरी शामिल हो। निजी पक्षों के विपरीत, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह नोटिस में शामिल मामले पर सबसे अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से विचार करेगी।

जिस तरह से, ऐसी कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद, जिसे वे उचित समझते हैं, और धारा द्वारा अनुमत दो महीने की अवधि के भीतर सार्वजनिक हित में निर्णय लेते हैं कि क्या दावा न्यायसंगत और उचित है और इसलिए, विचार किए गए मुकदमे से त्वरित बातचीत और निपटान द्वारा बचा जाना चाहिए या क्या दावा उचित होना चाहिए।

1960 एससी 1309

यदि और कब मुकदमा दायर किया जाता है तो उससे लड़कर विरोध किया जाए।

एक सूचना सेटिंग जारी करने पर जोर देने वाली धारा में निहित प्रस्तावित मुक़दमे का विवरण दें और दो महीने दें '

मुकदमा दायर करने से पहले सरकार या किसी लोक अधिकारी को समय दें

उनके खिलाफ। खंड का उद्देश्य प्रगति है

न्याय और बचाव द्वारा सार्वजनिक भलाई की सुरक्षा

अनावश्यक मुकदमेबाजी "। 35. हम यह भी देख सकते हैं कि इस अदालत ने बिहारी में क्या कहा था।

की जाने वाली कार्रवाई के बारे में धारी (ऊपर), यदि कोई मुकदमा है

बिना नोटिस दिए:

" 6. अब इसे एक स्थापित कानून के रूप में माना जाना चाहिए जिसके खिलाफ एक मुकदमा है।

सरकार या एक लोक अधिकारी, जिसके लिए एक की आवश्यकता

धारा 80 सी. पी. सी. के तहत पूर्व सूचना आकर्षित की जाती है, वैध नहीं हो सकती है

अधिकारियों को लिखित नोटिस दिए जाने के बाद धारा में निर्धारित तरीके से संबंधित और यदि दाखिल किया गया है

उक्त अवधि की समाप्ति से पहले, वाद को खारिज करना होगा।

रखरखाव योग्य नहीं है "। 36. अंत में हमें उन कारणों का भी उल्लेख करना चाहिए जो स्पष्ट होंगे -

इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेद में व्यक्त किया गया:

" 7. अपीलार्थियों की ओर से, इस पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी

केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय नानी अम्मा नानीनी अम्मा बनाम। केरल राज्य [ए. आई. आर. 1963 केर

114 : 1962 केर एलजे 1267]। इसमें विद्वान न्यायाधीश ने व्यक्त किया है

यह विचार कि धारा 80 सार्वजनिक नीति का प्रावधान नहीं है और

इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता हो

अवधि की समाप्ति से पहले शुरू किए गए मुकदमे का परीक्षण करने के लिए न्यायालय का उसमें निर्धारित किया गया। विद्वान न्यायाधीश द्वारा बताए गए कारण

स्पष्ट होने के बावजूद उक्त दृष्टिकोण रखने का औचित्य

प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति की घोषणा

भागचंद मामले में [ए. आई. आर. 1927 पी. सी. 176: 54 आई. ए. 338,357] हमें सही या सही के रूप में अपील करें। निष्कर्ष के आलोक में

वास्तविक दायरे के बारे में पूर्वगामी पैराग्राफ में हमारे द्वारा व्यक्त किया गया

और धारा 80 सी. पी. सी. का प्रभाव, विद्वान का पूर्वनिर्धारित निर्णय

केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को स्वीकार नहीं किया जा सकता है

अच्छा कानून बनाएँ। "

(जोर दिया गया)

एस. पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. चेजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

37. इस संदर्भ में, हम इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं -

रप्पा गुरुपदप्पा गुगवाड़, गुलबर्गा बनाम। राचावा, विधवा

चनप्पा गुगवाड़ और अन्य 1 1 11: .

" 10. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अदालत के लिए खुला होगा कि वह सभी पर फैसला न करे।

वादी की कार्रवाई का कारण सरकार और वादी के खिलाफ है। सिविल संहिता की धारा 80 के तहत उस नोटिस को नहीं दिखाता है

राहत का दावा करने वाली प्रक्रिया उक्त धारा के संदर्भ में प्रदान की गई थी, यह अदालत का कर्तव्य होगा कि वह शिकायत दर्ज करने को अस्वीकार करे

आदेश के कारणों के साथ उस प्रभाव के लिए आदेश। ..... "

(जोर दिया गया)

38. भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69, उप-धारा में

nd (2), निम्नानुसार पढ़ेः

" 69. गैर-पंजीकरण का प्रभाव।

(1) किसी अनुबंध या प्रदत्त अधिकार को लागू करने के लिए कोई मुकदमा नहीं इस अधिनियम द्वारा किसी भी न्यायालय में किसी के द्वारा या उसकी ओर से स्थापित किया जाएगा।

फर्म या किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी फर्म में भागीदार के रूप में मुकदमा करने वाला व्यक्ति

फर्म में भागीदार के रूप में फर्मों का रजिस्टर। (2) किसी अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अधिकार को लागू करने के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा

किसी तीसरे के विरुद्ध किसी फर्म द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय में स्थापित

पक्षकार जब तक कि फर्म पंजीकृत न हो और मुकदमा करने वाले व्यक्ति या

फर्मों के रजिस्टर में फर्म में भागीदारों के रूप में दिखाया गया है। 39. सेठ लूनकरन सेठिया और अन्य में बताए गए निर्णय में

ई. जॉन और अन्य मामलों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 21. खंड पर एक नंगी नज़र यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह है

चरित्र में अनिवार्य और इसका प्रभाव एक द्वारा एक सूट प्रस्तुत करना है

वादी में निहित या उसके द्वारा अर्जित अधिकार के संबंध में

एक अनुबंध के तहत जिसमें उन्होंने एक भागीदार के रूप में प्रवेश किया

अपंजीकृत फर्म, चाहे वह मौजूदा हो या विघटित, अमान्य है। अन्य में

शब्द, एक पूर्ववर्ती अपंजीकृत साझेदारी फर्म का भागीदार

0) 3 एससीसी 716 1977 एससी 336 [2022] 11 एस. सी. आर.

साझेदारी अधिनियम की धारा 69 के दायरे में आने वाले अनुबंध से उत्पन्न अधिकार को लागू करने के लिए मुकदमा नहीं कर सकते। ..... "

40. शरीफ-उद-दीन बनाम। अब्दुल गनी लोन 1, जिस पर श्री ने भरोसा किया

सीकरी में, मामला जम्मू और कश्मीर के तहत उठा

जन अधिनियम, 1957 का उल्लेख करते हुए, यह सवाल उठाया गया कि क्या चुनाव याचिका की प्रतियों को याचिकाकर्ता के अपने हस्ताक्षर के तहत सही प्रतियों के रूप में सत्यापित किया जाना अनिवार्य था।

निम्नलिखित अनुच्छेद पर ध्यान दें:

" 9. एक अनिवार्य नियम और एक निर्देशिका नियम के बीच का अंतर यह है कि जबकि पूर्व का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए,

बाद वाला पर्याप्त अनुपालन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो सकता है जिसके बारे में नियम अधिनियमित किया गया है। कुछ व्यापक

निर्माण के नियमों के संबंध में अदालतों के कई फैसलों से जिन प्रस्तावों का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जिनका यह निर्धारित करने में पालन किया जाना चाहिए कि क्या कानून का कोई प्रावधान निर्देशिका है या अनिवार्य है, उनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है: यह तथ्य कि कानून किसी कर्तव्य को निर्धारित करते समय "होगा" शब्द का उपयोग करता है, इस सवाल पर निर्णायक नहीं है कि क्या यह एक अनिवार्य या निर्देशिका प्रावधान है। कानून के सही स्वरूप का पता लगाने के लिए, अदालत को उस उद्देश्य का पता लगाना होगा जिसे विचाराधीन कानून के प्रावधान को कम करना है और इसकी रूपरेखा और उस संदर्भ का पता लगाना होगा जिसमें इसे अधिनियमित किया गया है। यदि किसी कानून का उद्देश्य उसका पालन न करने से पराजित होना है, तो उसे अनिवार्य माना जाना चाहिए। लेकिन जब कानून का कोई प्रावधान किसी सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन से संबंधित है और उस प्रावधान की अवहेलना में किए गए किसी भी कार्य के अमान्य होने से उन लोगों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होता है जिनके लाभ के लिए इसे अधिनियमित किया गया है और साथ ही जिनका कर्तव्य के निष्पादन पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे प्रावधान को निर्देशिका के रूप में माना जाना चाहिए। हालाँकि, जहाँ कानून का कोई प्रावधान यह निर्धारित करता है कि अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा एक विशेष तरीके से एक निश्चित कार्य किया जाना है और इसे एक अन्य प्रावधान के साथ जोड़ा जाता है जो दूसरे को प्रतिरक्षा प्रदान करता है जब ऐसा कार्य उस तरीके से नहीं किया जाता है, तो पहले वाले को अनिवार्य माना जाना चाहिए। एक प्रक्रियात्मक नियम को आम तौर पर अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए यदि इसके अनुसरण में किए गए कार्य में दोष को बाद के चरण में उचित सुधार की अनुमति देकर ठीक किया जा सकता है, जब तक कि बाद में त्रुटि को सुधारने के लिए ऐसी अनुमति के अनुसार, दूसरा नियम होगा -

0) 1 एससीसी 403 एम/एस।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

उल्लंघन किया। जब भी कोई क़ानून यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष कार्य एक विशेष तरीके से किया जाना है और यह भी निर्धारित करता है कि उक्त आवश्यकता का पालन करने में विफलता एक विशिष्ट कार्य की ओर ले जाती है।

नतीजतन, यह मानना मुश्किल होगा कि आवश्यकता अनिवार्य नहीं है और निर्दिष्ट परिणाम का पालन नहीं होना चाहिए। "

41. कैलाश वी. नन्हकू और अन्य 1 4, जिन पर श्री साकेत सीकरी ने भरोसा किया था, यह न्यायालय एक चुनाव मामले पर विचार कर रहा था और उनमें से एक

सवाल यह था कि सी. पी. सी. के आदेश VIII नियम I के प्रावधान द्वारा निर्धारित नब्बे दिनों की समय सीमा अनिवार्य है या नहीं। उक्त प्रावधान लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की अदालत की शक्ति से संबंधित था। परंतुक लिखित बयान दाखिल करने के लिए अधिकतम अवधि के रूप में समन की सेवा की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि निर्धारित करता है। इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रावधान को निर्देशिका के रूप में माना जाना चाहिए न कि अनिवार्य।

42. इस संदर्भ में हम कैलाश के अनुच्छेद-28 और 30 पर ध्यान दे सकते हैं।

(ऊपर):

कृष्ण अय्यर, जे. द्वारा सुशील कुमार में की गई टिप्पणियाँ सेन वी। बिहार राज्य [(1975) 1 एस. सी. सी. 774] प्रासंगिक हैं: (एस. सी. सी पी.

777 , पैरा 5-6)

" कानून के हाथों न्याय की मृत्यु एक न्यायाधीश की अंतरात्मा को परेशान करती है और गुस्से में पूछताछ की ओर इशारा करती है

कानून सुधारक।

प्रक्रियात्मक कानून कुछ प्रणालियों में इस तरह हावी है कि मूल अधिकारों और पर्याप्त न्याय पर हावी हो जाता है। द.

मानवतावादी नियम कि प्रक्रिया कानूनी न्याय की दासी होनी चाहिए, न कि मालकिन, एक निहित करने पर विचार करने के लिए मजबूर करता है

1 4 (2005) 4 एससीसी 480 [2022] 11 एस. सी. आर.

न्यायाधीशों में पूर्व ऋण न्यायसंगत कार्य करने की अवशिष्ट शक्ति जहां दुखद सीक्वल अन्यथा पूरी तरह से असमान होगा। न्याय

न्यायशास्त्र का लक्ष्य प्रक्रियात्मक है, जितना कि

मौलिक "।

XXX

XXX

XXX

30. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि न्यायालय की शक्ति के तहत

नियम 1 आदेश 8 में संलग्न परंतुक द्वारा सीमित है

शब्द "नब्बे दिनों के बाद नहीं होंगे" लेकिन परिणाम

समय के गैर-विस्तार से प्रवाह विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है

यद्यपि उन्हें आवश्यक निहितार्थ द्वारा पढ़ा जा सकता है। बस। क्योंकि कानून का एक प्रावधान नकारात्मक भाषा में है।

अनिवार्य चरित्र को दर्शाते हुए, यह अपवादों के बिना नहीं है।

अधिनियमित होने के लिए आया, शब्दबद्ध होने के बावजूद उसी को निर्देशिका के रूप में रखें नकारात्मक रूप में "।

43. जहाँ तक कैलाश (ऊपर) में व्यक्त किए गए विचारों का संबंध है, वह है -

विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक प्रावधान से संबंधित मामला और न्यायालय ने पाया कि समय से आगे लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति को नहीं हटाया जाता है। दंडात्मक परिणामों की अनुपस्थिति थी

आह्वान किया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रक्रियात्मक कानून के क्षेत्र में प्रावधान। इसके विपरीत, धारा 12 ए को केवल प्रक्रियात्मक कानून के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। वादी द्वारा संस्था-पूर्व मध्यस्थता को समाप्त करना, उन सभी लाभों के साथ जो पक्षों को प्राप्त हो सकते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समग्र रूप से न्याय वितरण प्रणाली, धारा 12 ए को केवल प्रक्रियात्मक प्रावधान नहीं बनाएगी। अधिनियम की रूपरेखा और दायरा, जैसा कि संशोधित किया गया है

व्याख्या केवल व्यक्त भाषा के दांतों में नहीं होगी उपयोग किया गया लेकिन, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, अधिनियम और नियमों के उद्देश्य की हताशा में परिणाम। इस संबंध में, शरीफ में रिपोर्ट किए गए फैसले में

अनिवार्य है। एक वादी में वाद स्थापित करने का अधिकार जो अधिनियम के तहत एक वाणिज्यिक मामले में तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करता है, स्पष्ट रूप से धारा 12 ए में प्रदान की गई कुछ शर्तों के पूरा होने से सशर्त है। इसकी तुलना किसी पक्ष को अपनी याचिका दायर करने की अनुमति देने से नहीं की जा सकती है। लिखित कथन। उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुए, निष्कर्ष एम/एस है।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

यह अपरिहार्य है कि वाद का अधिकार तभी फलीभूत होगा जब धारा 12 ए की शर्तों को पूरा किया जाएगा। प्रावधान को प्रक्रियात्मक भी मानते हुए,

परिणाम अलग नहीं हो सकता है। कोई अन्य दृष्टिकोण सी. पी. सी. की धारा 80 (1) को अनिवार्य मानने के आधार को हटा देगा।

44. सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन में, टी. एन. बनाम. भारत संघ 1 5 15,

इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या सी. पी. सी. की धारा 89 अनिवार्य थी या नहीं, निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 55. जैसा कि धारा 89 से देखा जा सकता है, इसका पहला भाग "होगा" शब्द का उपयोग करता है जब यह निर्धारित करता है कि "अदालत समझौते की शर्तें तैयार करेगी"। धारा 89 के बाद के भाग में "मई" शब्द का उपयोग केवल धारा 89 की शर्तों के सुधार के पहलू से संबंधित है।

संभावित निपटान। धारा 89 को अधिनियमित करने के पीछे विधायिका का इरादा यह है कि जहां अदालत को यह प्रतीत होता है कि समझौते का एक तत्व मौजूद है जो पक्षों को स्वीकार्य हो सकता है,

अदालत के कहने पर उन्हें अपना दिमाग लगाने के लिए कहा जाएगा ताकि वे चार ए. डी. आर. विधियों में से एक या दूसरे का विकल्प चुन सकें।

धारा में उल्लिखित और यदि पक्षकार सहमत नहीं होते हैं, तो न्यायालय उन्हें उक्त तरीकों में से एक या दूसरे के लिए संदर्भित करेगा। धारा 89 में "होगा" और "हो सकता है" दोनों शब्दों का उपयोग किया गया है जबकि आदेश 10 नियम 1 ए में "होगा" शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन इन प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 89 में "हो सकता है" शब्द का उपयोग केवल संभावित समझौते की शर्तों के सुधार के पहलू और ए. डी. आर. विधियों में से एक के लिए इसके संदर्भ को नियंत्रित करता है। कोई विवाद नहीं है। यह स्पष्ट है कि जिसे ए. डी. आर. तरीकों में से एक के रूप में संदर्भित किया जाता है, वह विवाद है जिसे धारा 89 के संदर्भ में तैयार किए गए या सुधार किए गए निपटारे के संदर्भ में संक्षेपित किया गया है।

45. अंत में, हम प्रेम लाला नाहटा बनाम में देख सकते हैं। चंडी प्रसाद सिकारिया ", न्यायमूर्ति पी. के. बालासुब्रमण्यन, अपनी ओर से बोलते हुए

न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने भी निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 16. आदेश 7 नियम 11 (डी) मुकदमे को "किसी भी कानून द्वारा वर्जित" होने की बात करता है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, बार का अर्थ है, एक याचिका। किसी कानूनी मुकदमे या कानूनी दावे को गिरफ्तार करना। इसका अर्थ है एक क्रिया के रूप में, कानूनी आपत्ति द्वारा रोकना। रामनाथ अय्यर के लॉ लेक्सिकन के अनुसार, "बार" वह है जो विचार से बाहर करने के लिए प्रवेश या निकास में बाधा डालता है। इसलिए यह देखना आवश्यक है कि सूट खराब है या नहीं।

15 (2005) 6 एस. सी. सी. 344 1 6 (2007) 2 एस. सी. सी. 551 [2022] 11 एस. सी. आर.

पक्षों की गलती या कार्रवाई के कारणों से बाहर रखा गया है

विचार किया जाता है या न्यायनिर्णयन के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है। जैसा कि बताया गया है।

पहले से ही, संहिता की योजना पर, ऐसा कोई निषेध नहीं है या

पक्षकारों की गलती के लिए दोषपूर्ण मुक़दमे के प्रवेश पर रोक

या कार्रवाई के कारणों से। अदालत अभी भी कोशिश करने के लिए सक्षम है और

मुकदमे का फैसला करें, हालांकि अदालत यह बताने में भी सक्षम हो सकती है कि

वादी या तो किसी एक के आग्रह पर आगे बढ़ने का चुनाव करते हैं वादी या कार्रवाई के कारणों में से किसी एक के साथ आगे बढ़ना। जिस पर

सिविल प्रक्रिया संहिता की योजना, इसलिए यह नहीं हो सकता है अभिनिर्धारित किया गया कि एक मुकदमा पक्षकारों के गलत कारण या कारणों के लिए वर्जित है

कार्रवाई एक कानून द्वारा वर्जित है, यहाँ संहिता है। यह विपरीत हो सकता है

संहिता की धारा 80 का पालन करने में विफलता के साथ। एक मामले में

धारा 80 की उप-धारा (2) में शामिल नहीं है, यह उप-धारा में प्रदान किया गया है। धारा 80 की धारा (1) में कहा गया है कि कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। यह है।

इसलिए मुकदमे की स्थापना पर रोक है और यही कारण है कि अदालतें यह विचार लिया है कि एक मामले में जहां धारा 80 के तहत नोटिस दिया गया है

संहिता अनिवार्य है, यदि शिकायत में अभिकथन इंगित करते हैं नोटिस के अभाव में, शिकायत खारिज की जा सकती है। के लिए,

उस मामले में, मुकदमे का मनोरंजन धारा द्वारा वर्जित किया जाएगा

80 कोड से। एक ही स्थिति होगी जब एक सूट द्वारा मारा जाता है

संहिता की धारा 86 को प्राप्त करने का अनुरोध किए बिना दायर किया गया है

केंद्र सरकार की सहमति यदि मुकदमा किराए के लिए नहीं है एक किरायेदार.. "

(जोर दिया गया)

उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोणः अपमानजनक टिप्पणियाँ?

46. गंगा तारो वजीरानी बनाम। दीपक रहेजा ", विद्वान

बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया कि धारा 12 ए एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे पाया कि जब तत्काल राहत के लिए आवेदन किया जाता है, तो धारा 12 ए के तहत प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि अदालत के पास अनुपालन किए बिना किसी मुकदमे पर विचार करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का अभाव है

धारा 12 ए के साथ। इसके अलावा, वह सी. पी. सी. की धारा 80 का उल्लेख करते हैं। वह ए. एल. का उल्लेख करता है। ए. आर. वेल्लायन चेट्टियार (दिसंबर) और अन्य बनाम। मद्रास प्रांत की सरकार रामनाड के कलेक्टर के माध्यम से

मदुरा और अन्य, इस प्रस्ताव के लिए कि इसके तहत नोटिस संबंधित प्राधिकरण के संरक्षण के लिए दिया गया है और वह कानूनी रूप से माफ कर सकता है

17 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम्बे 195

18 8 AIR 1947 PC 197 M/S.

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

सूचना का उसका अधिकार। रिलायंस को ए. पी. राज्य और अन्य बनाम में निर्णय पर भी रखा गया था। पायनियर बिल्डर्स, ए. पी. ", जिसमें यह न्यायालय

इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि इसमें भाग लिया

मुकदमे की रखरखाव के बारे में आपत्ति उठाए बिना कार्यवाही करने पर छूट होगी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी विचार रखा कि अधिनियम की धारा 12 ए के तहत भी, तथ्यों के एक दिए गए सेट में, प्रतिवादी को धारा 12 ए स्थापित करने के अपने अधिकार से मुक्त माना जा सकता है। यह आगे पाया गया है कि, यदि पर्याप्त अनुपालन है, तो वादी गैर-उपयुक्त नहीं हो सकता है, यानी, यदि विवाद को निपटाने का प्रयास किया गया है, जो विफल हो गया है और इसलिए, वादी अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश है। यह वही निर्णय है, जिस पर दोनों विवादित निर्णयों में भरोसा किया गया है।

47. हालाँकि, जैसा कि श्री शरत चंद्रन ने बताया, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने एक अपील में पाया है कि

एकल न्यायाधीश ने अपने विचार में गलती की है कि धारा 12 ए अनिवार्य नहीं है। डिवीजन बेंच ने घोषणा की कि अधिनियम की धारा 12 ए अनिवार्य है। यह भी देखा गया कि धारा 12 ए के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक हित में निहित होने के कारण, इसे माफ करने का कोई सवाल ही नहीं है। जब अपील में पारित किए जाने वाले आदेश की बात आती है, तो हम देखते हैं कि वादी ने तर्क दिया कि रजिस्ट्री द्वारा प्रारंभिक अवधि में रजिस्ट्री में भ्रम के कारण मुकदमा दायर करने की अनुमति दी गई थी, जब संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। वहाँ निरीक्षण था। डिवीजन बेंच ने मुकदमे और विवादित आदेश पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी और पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। धनबाद फ्यूल्स लिमिटेड में रिपोर्ट किए गए निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश बनाम। भारत संघ और अन्य 20 ने यह विचार रखा कि भारत में मध्यस्थता अभी भी प्रारंभिक चरण में है और इसके लिए अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। जरूरत थी

वाणिज्यिक विवादों का अनिवार्य प्रशिक्षण। यह भी पाया गया कि

पक्षकारकेँ न्याय वितरण प्रणालीमे भाग लेबाक अधिकारसँ वंचित नहि कयल जा सकैत अछि। यह आगे देखा गया कि वादी की पहल का जवाब देने के लिए प्रतिवादी की ओर से कोई दायित्व नहीं था। आदेश VII नियम 13, जो आदेश VII नियम 11 के तहत अस्वीकृति पर एक नया मुकदमा दायर करने में सक्षम बनाता है, के मद्देनजर आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत शिकायत को खारिज करने से पता चलता है कि आदेश VII नियम 11 के तहत शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों के अनुसार नहीं होगा।

1 9 (2006) 12 एससीसी 119 20 2021 एससीसी ऑनलाइन कलकत्ता 429 [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48. कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश ने ड्रेजिंग एंड डिसिलटेशन कंपनी प्राइवेट में एक फैसले में बताया।

लिमिटेड वी. मैकिन्टोश बर्न एंड नॉर्दर्न कंसोर्टियम और अन्य 2 1 21 ने यह विचार रखा कि सी. पी. सी. के तहत मुकदमा दायर करने और मुकदमा दायर करने के बीच अंतर है। यह भी पाया गया कि धारा 12 ए के तहत प्रतिबंध पूर्ण रूप से डब्ल्यू. ई. एफ. 12.12.2020 है, जो तारीख है। धारा 12 ए के तहत मुकदमेबाजी से पहले की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाए जाने के तुरंत बाद की तारीख। यह पता लगाने के बाद है कि मानक संचालन प्रक्रिया बनाई गई थी और नियम 11.12.2020 पर प्रकाशित किए गए थे। लक्ष्मी पॉलीफैब प्राइवेट में रिपोर्ट किए गए फैसले में वही विद्वान एकल न्यायाधीश (देबांगसु बसाक, जे.)। लिमिटेड वी. ईडन रियल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और अन्य 2 2 ने इस सवाल पर विस्तार से विचार किया कि क्या धारा 12 ए अनिवार्य है। उन्होंने आगे कहा कि धारा 12 ए अनिवार्य थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ, क्योरविन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में। लिमिटेड वी. क्योरविन हाइलिको फार्मा प्राइवेट लिमिटेड खंड 2 3, के उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का पालन किया

>

बॉम्बे, जिसे हमने गंगा तारो (ऊपर) में देखा है, और यह पता लगाने के बाद कि एक मुकदमा, जो तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करता है, तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक कि पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता समाप्त नहीं हो जाती है। अवस्थी मोटर्स बनाम में रिपोर्ट किए गए निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश। प्रबंध निदेशक एम/एस। एनर्जी इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल और अनदर 24 ने पाया कि पूर्व-संस्थान के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य प्रदान किया गया है

मध्यस्थता। उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन का उल्लेख किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रावधान अनिवार्य है।

अधिनियम और नियमों का एक सर्वेक्षण

49. धारा 2 (सी) 'वाणिज्यिक विवाद' को विभिन्न निर्दिष्ट लेनदेनों को शामिल करने के रूप में परिभाषित करती है, जो संख्या में 21 हैं। वहाँ एक है

अवशिष्ट प्रावधान, जो पीछे की ओर लाता है और खंड में निहित है

2 (ग) (xxii)। उक्त प्रावधान केंद्र सरकार को अन्य वाणिज्यिक विवादों को वाणिज्यिक विवाद के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देता है। इसका स्पष्टीकरण वाणिज्यिक विवाद के दायरे को बढ़ाता/स्पष्ट करता है। धारा 2 (i) 'निर्दिष्ट मूल्य' शब्दों को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" 2 (i) वाणिज्यिक विवाद के संबंध में "निर्दिष्ट मूल्य" का अर्थ किसी वाद के संबंध में विषय-वस्तु का मूल्य होगा -

21 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन कलकत्ता 1458

23 आकाशवाणी 2021 एम. पी. 154 24 आकाशवाणी 2021 इलाहाबाद 143 एम/एस।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा 12 के अनुसार निर्धारित किया जाता है जो तीन लाख रुपये से कम या ऐसा उच्च मूल्य नहीं होगा, जिसे इसके द्वारा अधिसूचित किया जाए

केंद्र सरकार "।

[2015 में जब यह अधिनियम लागू किया गया था तब यह राशि 1 करोड़ थी और

इसे 2018 में संशोधन द्वारा कम कर दिया गया था।]

50. अध्याय II के तहत, कानून देने वाले ने विचार किया है,

जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय, जिला न्यायाधीश स्तर पर एक वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय, सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार वाले सभी उच्च न्यायालयों के लिए उच्च न्यायालय में एक वाणिज्यिक प्रभाग (धारा 4 देखें) और उच्च न्यायालय में एक वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग। धारा 8 एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन या याचिका पर रोक लगाती है। धारा 12 निर्दिष्ट मूल्य के निर्धारण से संबंधित है। धारा 14 में विचार किया गया है कि वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय और वाणिज्यिक

अपीलीय प्रभाग ऐसी अपीलें दायर करने की तारीख से छह महीने के भीतर उनके समक्ष अपीलों का निपटारा करने का प्रयास करेगा। धारा 15 (2) के तहत, किसी भी दीवानी न्यायालय में लंबित एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत सभी मुकदमों और आवेदनों को वाणिज्यिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना है।

जहाँ ऐसे न्यायालय का गठन किया गया है। धारा 16 के तहत, सी. पी. सी. के प्रावधान, किसी के संबंध में किसी भी मुकदमे में इसके आवेदन के संबंध में एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद को अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार संशोधित किया जाना है। धारा 19 में प्रावधान है कि राज्य उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। धारा 16 से संबंधित एक अनुसूची, जो अन्य बातों के साथ-साथ सी. पी. सी. के संशोधित संस्करण का प्रावधान करती है, लागत से निपटने के लिए सी. पी. सी. की धारा 35 के प्रतिस्थापित संस्करण का प्रावधान करती है। यह प्रावधान करता है कि न्यायालय के पास मात्रा के मामले में विवेकाधिकार है

लागतें।

अनुसूची में सी. पी. सी. की धारा 35, अन्य बातों के साथ, विचार करती है

कि व्यय के भुगतान के लिए आदेश देते समय, न्यायालय पक्षकारों के आचरण को ध्यान में रखेगा और क्या समझौता करने के लिए कोई उचित प्रस्ताव एक पक्ष द्वारा किया गया है और दूसरे पक्ष द्वारा अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। धारा 35 (3) और 35 (4) निम्नानुसार हैं:

" 35 (3) लागत के भुगतान के लिए आदेश देते समय, न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनमें शामिल हैं:

((क) पक्षकारों का आचरण;

(ख) क्या कोई पक्ष अपने मामले में सफल हुआ है, भले ही वह

पार्टी पूरी तरह से सफल नहीं रही है; [2022] 11 एस. सी. आर.

(ग) क्या पार्टी ने एक तुच्छ जवाबी दावा किया था मामले के निपटारे में देरी करना;

(घ) क्या समझौता करने के लिए कोई उचित प्रस्ताव किसी पक्ष द्वारा किया गया है और

परेशान करने वाली कार्यवाही अदालत का समय बर्बाद कर रही है। " 35 (4) वे आदेश जो न्यायालय इस प्रावधान के तहत दे सकता है

एक आदेश शामिल करें जिसे एक पक्ष को भुगतान करना होगा

(क) किसी अन्य पक्ष की लागत का एक अनुपात;

(ख) किसी अन्य पक्ष की लागतों के संबंध में बताई गई राशि; (ग) एक निश्चित तिथि से या तब तक की लागतें;

(घ) कार्यवाही शुरू होने से पहले की गई लागत;

(ङ) कार्यवाहियों में उठाए गए विशेष कदमों से संबंधित लागत;

(च) कार्यवाहियों के एक विशिष्ट भाग से संबंधित लागतें; और (छ) एक निश्चित तिथि से या तब तक की लागत पर ब्याज।

[जोर दिया गया]

51. चूंकि, धारा 12 ए ने नियम बनाने पर भी विचार किया है -

मुकदमेबाजी पूर्व मध्यस्थता की योजना को प्रभावी बनाना। नियम तुरंत बनाए गए और 03.07.2018 पर प्रकाशित किए गए। नियम 3 विस्तार से उस तरीके का प्रावधान करता है जिसमें मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह विचार करता है कि एक पक्ष, एक वाणिज्यिक विवाद के लिए, प्राधिकरण को एक आवेदन कर सकता है। यह नियम एक पार्टी के बारे में बात करता है। धारा 12 ए घोषणा करती है कि वादी को मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता के उपाय को समाप्त करना चाहिए। जाहिरा तौर पर जो आवश्यक है वह यह है कि मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है सिवाय मुकदमेबाजी पूर्व मध्यस्थता के उपचार के, अधिनियम के तहत विचार किया गया है और

नियम, प्रयास किए जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। नियम 3 (1) में वह प्रपत्र है जिसमें आवेदन किया जाना है। , प्रपत्र-I, जैसा कि अनुसूची-I में निर्दिष्ट है। प्रपत्र ऑनलाइन या डाक से या हाथ से भेजा जा सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार कि 'मई' शब्द का उपयोग, धारा 12 ए के अनिवार्य स्वाद से अलग करता है, स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है। धारा 12 ए मूल अधिनियम का हिस्सा है।

नियम 3, एक अधीनस्थ विधान होने के नाते, मूल अधिनियम के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। इसके अलावा, एक उचित पर

नियम 3 को समझते हुए, धारा 12ए और नियम 3 के बीच वास्तव में कोई टकराव नहीं है। नियम 3 केवल एम/एस के संबंध में आवेदक को विवेकाधिकार देता है।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

उपस्थित होना और समय मांगना, बशर्ते कि तारीख पक्षों के अनुरोध की तारीख से दस दिन से बाद की न हो। यदि, ऐसे मामले में, विरोधी पक्ष द्वारा उपस्थित होने में विफलता होती है, तो फिर से एक गैर-स्टार्टर रिपोर्ट फॉर्म-III बनाना होगा। यदि, दूसरी ओर, जहां दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं, सहमति देते हैं, तो प्राधिकरण को मामले को एक मध्यस्थ को सौंपना है और

एक तारीख निर्धारित करने के लिए भी। मध्यस्थता की अवधि तीन महीने की है और दोनों पक्षों की सहमति से दो महीने के विस्तार की संभावना नियम 3 का विषय है। मध्यस्थ की भूमिका नियम 5 में विवाद के स्वैच्छिक समाधान को सुविधाजनक बनाने और एक समझौते तक पहुंचने में पक्षों की सहायता करने के लिए बनाई गई है। नियम 6 पक्ष को या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से उपस्थित होने का अधिकार प्रदान करता है। मुकदमेबाजी पूर्व मध्यस्थता में वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के महत्व को रेखांकित किए बिना नहीं रखा जा सकता है। इस तथ्य के अलावा कि विधानमंडल को जागरूक माना जाना चाहिए, कि दोनों, सार्वजनिक हित के साथ-साथ पक्षों का हित भी, राष्ट्र के सर्वोच्च आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के एक उदात्त लक्ष्य के साथ, वाणिज्यिक मुकदमेबाजी के त्वरित निपटान में निहित है, जिसमें वकील को मध्यस्थ के सामने उपस्थित होने की अनुमति देना एक समझौते पर पहुंचने में सुविधा प्रदान करना है, जो कानूनी रूप से वैध और अन्यथा न्यायसंगत है। हमने गौर किया है। कि धारा 12 ए के तहत मुकदमेबाजी पूर्व मध्यस्थता में हुए समझौते को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 30 (4) के तहत एक निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 30 (4) इस प्रकार हैः

" 30 (4) सहमत शर्तों पर एक मध्यस्थता पुरस्कार का समान होगा।

के सार पर किसी अन्य मध्यस्थता पुरस्कार के रूप में स्थिति और प्रभाव

विवाद "।

सी. पी. सी. की धारा 89 के तहत एक मध्यस्थता समझौता हुआ

अदालत द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और केवल इसकी अभेद्यता को देखते हुए कि यह प्रभावी है [एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पैराग्राफ 40 और एक अन्य v देखें। चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 2]। चूंकि अधिनियम की धारा 12 ए के तहत एक समझौते को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत एक पुरस्कार का दर्जा दिया गया है, इसलिए यह मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता को अनिवार्य बनाने के लिए विधायिका के उद्देश्य की ओर इशारा करता है। हम फिर से महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं, वकीलों को एक न्यायसंगत और वैध समझौते पर पहुंचने में काम करना चाहिए जो एक प्रभावी निर्णय में बदल जाता है और इसलिए, एक डिक्री।

52. नियम 7 मध्यस्थ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है।

नियम 9 मध्यस्थता की गोपनीयता के सिद्धांत को स्थापित करता है। द.

मध्यस्थ, पक्षकार, उनके अधिकृत प्रतिनिधि या वकील को मध्यस्थता के बारे में गोपनीयता बनाए रखनी है। नियम 9 आगे घोषणा करता है कि मध्यस्थ को मध्यस्थता बैठकों की आशुलिपि या ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं देनी है। नियम 11 में मध्यस्थता शुल्क का प्रावधान है। वहाँ है

एक बार का मध्यस्थता शुल्क होना चाहिए, जिसे मात्रा के अनुसार समान रूप से साझा किया जाना है।

अनुसूची II में निर्दिष्ट दावे का। हम अनुसूची II निर्धारित कर सकते हैं।

" अनुसूची-II

मध्यस्थता शुल्क

[नियम 11 देखें]

एस. नो।	दावे की गुणवत्ता	प्राधिकरण

(भारतीय रुपये में)।

1 .

रु. से। 3,00,000 Rs.10,00,000 तक।

रु.

15,000 /

रु. से। 10,00,000 . रु. तक। 50,00,000 .

रु.

30,000 /

2 .

रु. से। 50,00,000 . रु. तक। 1,00,00,000 .

रु.

40,000 /

3 .

रु.

50,000 /

4 .

रुपये. 1,00,00,000 से। रु. 3,00,00,000 तक।

रुपये से अधिक। 3,00,00,000 .

रु.

75000 /

5 .

25 (2010) 8 एससीसी 24 एम/एस।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

53. दलीलों और उठाए जाने वाले अन्य कदमों दोनों के मामले में समय-सीमा पर विचार किया जाता है। वे कार्यवाही की त्वरित परिणति सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। मूल रूप से, धारा 2 (i) के अर्थ के भीतर निर्दिष्ट मूल्य 'जो एक करोड़ रुपये से कम नहीं होगा' के रूप में तय किया गया था। अधिनियम के जन्म के तीन वर्षों के भीतर, संसद ने पाया कि निर्दिष्ट मूल्य को 1 करोड़ रुपये से घटाकर 3 लाख रुपये करना आवश्यक था, जो 'निर्दिष्ट मूल्य' शब्द की परिभाषा के वर्तमान अवतार में परिलक्षित होता है। यह निर्दिष्ट मूल्य में कमी के साथ-साथ है और उसी संशोधन द्वारा धारा 12 ए को जोड़ा गया है। हम पहले ही उद्देश्यों और कारणों के कथन पर ध्यान दे चुके हैं, जिसके कारण संशोधन हुआ। अधिनियम के संदर्भ में, इसके जन्म से लेकर 2018 में संशोधन के साथ कानून देने वाले के कदम उठाने तक, नियमों के साथ पढ़ा गया अधिनियम एक

आर्थिक प्रयोग उतना ही प्रत्यक्ष रूप से न्याय के प्रशासन के एक महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है। वाणिज्यिक विवाद स्पष्ट रूप से रहे हैं

पहचान हो गई। मूल्य तय कर दिया गया है। विभिन्न चरणों में न्यायालयों ने

विचार किया गया। समय-सीमा पर विचार किया जाता है। कानून का पूरा उद्देश्य दिन की रोशनी के रूप में स्पष्ट है। वाणिज्यिक रंग के विवादों को उच्चतम स्तर के अभियान के साथ समाप्त किया जाना चाहिए। विवाद समाधान से झगड़ालू पक्षों के बीच विवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश को व्यापार करने में आसानी को बढ़ाकर पूंजी को आकर्षित करने वाला गंतव्य बनने के लिए जमीन तैयार करेगा। यह निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है कि व्यापार करने में आसानी और वाणिज्यिक मामलों में उत्पन्न होने वाले विवादों की शीघ्र और त्वरित समाप्ति के बीच सीधा संबंध है। वह गति जिसके साथ किसी भी देश में न्याय वितरण प्रणाली

डॉकेट विस्फोट की समस्या के लिए प्रतिक्रिया, विशेष रूप से वाणिज्यिक विवादों के क्षेत्र में आसानी का एक बहुत ही सुरक्षित सूचकांक माना जा सकता है उस देश में व्यापार करना। अतः उक्त अर्थ में यह अधिनियम वाणिज्यिक विवादों के निपटारे की गति को बढ़ाने के लिए एक अनूठा प्रयोग है। यह इस पृष्ठभूमि में है कि न्यायालय को इस मुद्दे पर संपर्क करना चाहिए कि क्या धारा 12 ए को एक अनिवार्य प्रावधान माना गया है। हम.

यह इस कारण से कहें कि उत्तर की खोज में निर्णायक तत्व, इस तरह के क़ानून की व्याख्या में, इसका पता लगाने के लिए होना चाहिए

विधानमंडल का इरादा। पहला सिद्धांत, निश्चित रूप से, व्याख्या का सुनहरा नियम होना चाहिए, जिसका अर्थ है, सरल भाषा के अनुरूप व्याख्या, जिसका उपयोग किया जाता है। इसमें कोई संदेह की छाया भी नहीं हो सकती कि धारा 12 ए में उपयोग की गई भाषा स्पष्ट रूप से अनिवार्य है।

प्रकृति। हालाँकि, हम केवल 'विल' शब्द के उपयोग से प्रेरित नहीं होंगे।

यहां तक कि अधिनियम के उदात्त उद्देश्य के अनुसार, जैसा कि हमने खुलासा किया है, हम अपनी राय में पूरी तरह से मजबूत हैं कि पूर्व-संस्थान मध्यस्थता का उद्देश्य परिणाम उत्पन्न करना है, जिसका सीधा असर कानून देने वाले के महान लक्ष्यों की पूर्ति पर पड़ता है। यह स्पष्ट है कि विधानमंडल ने एक मूल्य निर्णय प्रकट किया है। हमें प्रावधान की संवैधानिकता तय करने के लिए नहीं कहा जाता है। यह माना जाता है कि संसद समय की महसूस की गई आवश्यकताओं से अवगत है। यह सबसे अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से जमीनी समस्याओं का समाधान किया जाता है। सी. पी. सी. की धारा 89, न्यायालय द्वारा आदेशित मध्यस्थता पर विचार करती है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 12 ए अदालत की किसी भी भागीदारी के बिना मध्यस्थता पर विचार करती है जैसा कि मुकदमा शुरू होने से पहले किया जाता है।

इस बात पर ध्यान दिया कि कानून-दाता ने, धारा 12 ए में, केवल मुकदमों में संस्था-पूर्व मध्यस्थता का प्रावधान किया है, जो किसी भी तत्काल अंतरिम पर विचार नहीं करते हैं। राहत मिलती है। इसलिए, पूर्व-संस्थान मध्यस्थता केवल मुकदमों के एक वर्ग में अनिवार्य की गई है। हम यह इस कारण से कहते हैं कि जिन मुकदमों में तत्काल अंतरिम राहत पर विचार किया जाता है, कानून-दाता ने सावधानीपूर्वक पुष्टि की है कि वे तत्काल सुरक्षित हैं।

न्याय तक पहुँच जैसा कि न्यायालयों के माध्यम से सामान्य रूप से विचार किया जाता है। सूट के एक वर्ग से नक्काशी और उन्हें अनिवार्य रूप से चुनना

मध्यस्थता, कानून के उद्देश्य की प्राप्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। न्यायाधीशों पर बोझ हल्का हो जाता है। वे उन मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां तत्काल अंतरिम राहत पर विचार किया जा रहा है और अन्य मामलों पर, जो पहले से ही उनके खाते में हैं।

55. सी. पी. सी. की धारा 9 कानून नहीं है, जो दीवानी मुकदमा दायर करने का अधिकार पैदा करती है। निस्संदेह, इसके लिए एक कानून की आवश्यकता होगी, हालांकि, पूरी तरह से या सशर्त रूप से, किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार पर आक्रमण करने के लिए

दीवानी अदालत में शिकायत। दीवानी मुक़दमे को कानून द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से रोका जा सकता है। दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को समाप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी को भी यह तर्क देने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि उसे दीवानी मुकदमा दायर करने का अधिकार है, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यह एक और मामला है कि अदालतें दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटाने का अनुमान हल्के में नहीं लेंगी।

आदेश VII नियम एस. पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस की उपस्थिति। वी. चेजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

, जो एक शिकायत की अस्वीकृति को अनिवार्य करता है, जहां एक मुकदमा वर्जित है, एक है

इस सिद्धांत पर कि दीवानी मुकदमा दायर करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है।

56. धारा 12 ए के तहत, जो कुछ भी प्रदान किया गया है, वह है शीतलन अवधि।

इन पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना हैडी मध्यस्थ। मध्यस्थता करते समय, हम विक्रम बख्शी और आर. एस. वी. में दिए गए निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निहित निम्नलिखित विचारों को देख सकते हैं। कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा सोनिया खोसला (मृत) 2 6:

" 16. हमारे अनुसार यह अधिक उपयुक्त होता

पक्ष कम से कम मध्यस्थता का सहारा लेने के लिए सहमत हैं जैसा कि प्रदान किया गया है

धारा 89 सी. पी. सी. के तहत और सौहार्दपूर्ण खोजने का प्रयास करें

मध्यस्थता का उद्देश्य विवाद का शीघ्र समाधान खोजना है। द. जल्द ही विवाद का समाधान हो जाए तो सभी पक्षों के लिए बेहतर है।

विशेष रूप से चिंतित, और सामान्य रूप से समाज। पार्टियों के लिए,

विवाद न केवल रिश्ते को तनाव देता है बल्कि इसे नष्ट भी कर देता है। और,

जल्द से जल्द संभव अवसर पर विवाद का समाधान आवश्यक है। और इस तरह के एक तंत्र के माध्यम से जहां के बीच संबंध

व्यक्ति स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ता है। वारेन बर्गर ने एक बार कहा थाः

" कानूनी पेशे का दायित्व है. के रूप में सेवा करना

मानव संघर्ष के उपचारक। हमें तंत्र प्रदान करना चाहिए

जो कम से कम संभव समय में एक स्वीकार्य परिणाम दे सकता है,

कम से कम संभव खर्च और कम से कम तनाव के साथ

प्रतिभागियों पर। यही न्याय है "।

हमारी न्याय प्रणाली में लाया गया। यह एक तरीका है वैकल्पिक विवाद समाधान और विवाद को एक तरह से हल करता है

यह निजी, तेज और किफायती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें

तटस्थ हस्तक्षेपकर्ता दो या दो से अधिक वार्ता करने वाले पक्षों की पहचान करने में सहायता करता है

चिंता के विषय, उनकी बेहतर समझ विकसित करें

स्थिति, और उस बेहतर समझ के आधार पर, विकास करें

उन चिंताओं को हल करने के लिए परस्पर स्वीकार्य प्रस्ताव। यह.

लोकतांत्रिक निर्णय लेने के दर्शन को अपनाता है [अल्फिन,

आदि। , मध्यस्थता सिद्धांत और अभ्यास (दूसरा संस्करण, 2006) लेक्सिस नेक्सिस]।

XXX

XXX

XXX

19. इस पीठ का दृढ़ मत है कि मध्यस्थता एक नई बात है

न्याय तक पहुँच का आयाम। यदि नहीं तो यह सबसे अच्छे रूपों में से एक है।

सबसे अच्छा, संघर्ष समाधान का। मध्यस्थता में न्याय की अवधारणा प्रोफेसर स्टुलबर्ग, लव, हाइमन के कार्यों में उन्नत है,

आत्मनिर्णय। वे उस जादू के बारे में आशान्वित हैं जो कर सकता है ऐसा तब होता है जब लोग ईमानदारी से और सहानुभूतिपूर्वक खुलते हैं

निर्बाध निजी चर्चा में उनकी ज़रूरतें और डर। और, जैसे कि विचारकों, ये न्यायविद आशावादी हैं कि की उदारता

मानव आत्मा संरचनात्मक असंतुलन और संसाधनों पर विजय प्राप्त कर सकती है।

बाधाएँ।

XXX

XXX

XXX

19.3 . प्रोफेसर कैरी मेनकेल-मीडो एक संबंधित बिंदु प्रस्तुत करते हैं

मामला बनाने में दृष्टिकोण कि समझौते का एक राजनीतिक और अपनी खुद की नैतिक अर्थव्यवस्था और लिखते हैं:

" न्याय, यह अक्सर दावा किया जाता है, केवल तभी उभरता है जब वकील

और उनके ग्राहक इसके अर्थ पर बहस करते हैं, और बदले में, कुछ

आधिकारिक आकृति या शरीर इसके अर्थ पर उच्चारण करता है, जैसे

जैसा कि बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के विहित मामलों में

अब कई वर्षों से, मैंने सुझाव दिया है कि अन्य हैं

न्याय की प्राप्ति के लिए घटक। विशेष रूप से, मैं उस प्रक्रिया को संदर्भित करें जिसके द्वारा हम न्याय चाहते हैं (पक्ष)

भागीदारी और सशक्तिकरण, सर्वसम्मति के बजाय

समझौता या आदेश) और विशेष प्रकार के परिणाम जो इसे प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं (द्विआधारी जीत-हार नहीं)

समाधान, लेकिन रचनात्मक, पाई-विस्तार या यहाँ तक कि साझा समाधान) "।

[जोर दिया गया]

57. एक तरफ, मध्यस्थता के खिलाफ तीखी आलोचना

यह पहुँच के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है कि ई. यह किसी व्यक्ति के अधिकार की पारंपरिक धारणाओं के अनुरूप है।

एक निष्पक्ष और एक प्रशिक्षित न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया गया विवाद। जिस पर

हाथ, जैसा कि इस न्यायालय ने विक्रम बख्शी (ऊपर) में देखा है, मध्यस्थता

न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण है। दलों को एक बड़ी भूमिका सौंपने के परिणामस्वरूप एक जीत की स्थिति

स्वयं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि समायोजन की भावना एक बेहतर एम/एस का प्रतिनिधित्व करती है।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

और डॉकेट विस्फोट के युग में क्या अधिक है, एकमात्र सार्थक

चयन करें। यह अहसास समय के साथ बढ़ता जा रहा है कि औपचारिक अदालत कक्ष, लंबे समय से चली आ रही कार्यवाही, प्रक्रियात्मक कलह, बढ़ती और अपंग करने वाली लागत, देरी, जो कभी कम नहीं होती है, लेकिन केवल उस दिन के साथ बढ़ती है कि कम से कम, कुछ श्रेणियों के मामलों में, मध्यस्थता एक रास्ता हो सकता है। निस्संदेह, इसके लिए मानसिकता में पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। दृष्टिकोण में परिवर्तन, निस्संदेह, तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वादियों को अदालत में आने के लिए गणना के दिन के लिए सर्पिल कतार में प्रतीक्षा करने में बड़े नुकसान की तुलना में इसके लाभों के बारे में पता चल जाए। मध्यस्थता को आगे बढ़ाने में बार की भूमिका महत्वपूर्ण है। जनसंख्या में वृद्धि और एक विषम न्यायाधीश के साथ-जनसंख्या अनुपात और अदालतों में मुकदमों का एक बड़ा चक्र, यह तार्किक, न्यायसंगत और अनिवार्य है कि चौकड़ी से बाहर की सोच का प्रयास किया जाए और दृढ़ता से प्रयास किया जाए। हम अब अतीत में नहीं रह सकते। अतीत के साथ एक स्वच्छ विराम की तत्काल आवश्यकता है। पिछली शताब्दी के अंतिम दशकों में दीवार पर जो केवल एक लेखन था, वह कठोर वास्तविकता बन गया है। यह महत्वपूर्ण है कि अदालतें भी बदलते समय के अनुकूल हों। कम से कम जब संसद ने आगे बढ़ने का फैसला किया है, तो यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह अनुचित संदेह के साथ उसका स्वागत न करे। न्यायपालिका की वास्तविक भूमिका को समझते हुए संसद की मंशा को पूरा करना आवश्यक हो जाता है।

58. अधिनियम और नियमों का अवलोकन एक पूर्ण संहिता के अस्तित्व को प्रकट करता है। धारा 12 ए और नियमों के तहत विचार की गई मध्यस्थता हर मामले में सफल नहीं हो सकती है। शुरू में, ये आंकड़े आश्वस्त करने वाले नहीं हो सकते हैं, लेकिन भले ही सफलता मध्यस्थ को नहीं मिलती है, कुछ मामलों में, विधानमंडल के उद्देश्य का एक अच्छा हिस्सा खड़ा होगा। हासिल किया। डॉकेट विस्फोट की ऐसी स्थिति है जिसे विशेष रूप से वाणिज्यिक विवादों में माना जाता है। अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की चिंता की सराहना करना मुश्किल नहीं है। विशेष रूप से मौद्रिक सीमा को एक करोड़ रुपये से घटाकर तीन लाख रुपये करने के साथ, न्यायालयों पर समय सीमा प्राप्त करने और निर्णय के पारंपरिक तरीके से वाणिज्यिक मामलों का निपटान करने के लिए एक भारी बोझ होगा, यहां तक कि सी. पी. सी. के संशोधित प्रावधानों के साथ भी

अधिनियम की धारा 16 के तहत लागू। 59. हम श्री साकेत सीकरी के इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि धारा 12 ए में किसी भी जुर्माने का प्रावधान नहीं है और इसलिए यह प्रावधान अनिवार्य नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह स्वीकार करते हैं कि यह केवल एक पहलू है जिस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या 'विल' शब्द को अनिवार्य माना जाना है। यदि विद्वान वकील का तर्क स्वीकार किया जाता है, तो न तो

सी. पी. सी. की धारा 80 और न ही साझेदारी अधिनियम की धारा 69, जो उनके प्रावधानों के उल्लंघन में लाए गए मुकदमे के लिए किसी भी दंड का प्रावधान नहीं करती है।

शर्तें अनिवार्य होंगी। हालांकि, यह एक तय कानून है कि धारा 80 के अधिदेश का उल्लंघन करते हुए एक वाद स्थापित किया जाता है, यानी जब कोई नोटिस नहीं होता है और कोई तत्काल राहत पर विचार नहीं किया जाता है और अनुमति मांगी जाती है, तो वाद को खारिज करना होगा, क्योंकि वाद बनाए रखने योग्य नहीं होगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 69 के तहत विचार किए गए पंजीकरण की अनुपस्थिति के संबंध में स्थिति समान रूप से समान है। इसलिए, विद्वान वकील द्वारा प्रचारित सिद्धांत लागू नहीं होगा।

60. समान रूप से, हम विद्वानों के तर्क से अप्रभावित हैं

यह सच हो सकता है कि यह पूछताछ करने के लिए प्रासंगिक इनपुट हो सकता है कि क्या किसी क़ानून के जनादेश का पालन नहीं करने से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। 61. हम इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं कि यदि मुकदमा धारा 12 ए का पालन किए बिना लाया जाता है, जहां कोई तत्काल अंतरिम राहत नहीं मांगी जाती है,

तर्क उस बड़ी तस्वीर की अनदेखी करता है जो कानून का वास्तविक उद्देश्य है। इस उद्देश्य को केवल पक्षों पर प्रभाव के संदर्भ में संकीर्ण रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। यह इस बात को भी याद रखने के अलावा है कि यदि पक्ष धारा 12 ए के तहत मध्यस्थता समाप्त कर देते हैं, तो विपरीत पक्ष, यदि मध्यस्थता सफल होती है, तो अदालत में कार्यवाही की अग्निपरीक्षा से बचाया जा सकता है, जिसमें निस्संदेह, लागत शामिल होगी, जबकि, मध्यस्थता लागत, जैसा कि हमने देखा है, न्यूनतम है, और इसके अलावा, एक बार का मामला है, और फिर भी, पक्षकारों के बीच समान रूप से साझा किया जाना है। हर बार जब वादी को धारा 12 ए के तहत मध्यस्थता के लिए मजबूर किया जाता है तो उम्मीद की एक किरण होती है कि मामला सुलझा सकता है। मध्यस्थता का मुख्य लाभ और मुख्य आकर्षण यह है कि यदि मध्यस्थता सफल होती है तो यह सभी पक्षों के लिए एक जीत-जीत है। इसलिए, एक अर्थ में, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि प्रतिवादी के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसके अलावा, इसी तर्क पर, सी. पी. सी. की धारा 80 (1) और भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 69 अनिवार्य नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। 62. श्री साकेत सीकरी की दलीलों में से एक यह है कि यदि आदेश VII नियम 11 के तहत किसी शिकायत को खारिज कर दिया जाता है, तो वादी को इसके लिए बाध्य किया जाएगा।

न्यायालय द्वारा भुगतान किए गए शुल्क से वंचित करना। वह तर्क देंगे कि इस पहलू पर विचार किया जा सकता है, जब न्यायालय इस सवाल का फैसला करता है कि क्या प्रावधान अनिवार्य है या नहीं। जब भी मेसर्स पर कोई शिकायत खारिज कर दी जाती है।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

यह आधार कि मुकदमा किसी भी कानून के तहत वर्जित है, यह परिणाम अपरिहार्य है। [हम, इस संदर्भ में, केवल यह देख सकते हैं कि केरल न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1959 की धारा 4 ए के तहत, वादी को वाद की स्थापना के समय कुल न्यायालय शुल्क का केवल दसवां हिस्सा देने की आवश्यकता है। शेष राशि का भुगतान तारीख से पंद्रह दिनों के बाद नहीं किया जाना है।

अन्य बातों के साथ-साथ मुद्दों को तैयार करना। धारा 4 ए में आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि पक्षकार शेष न्यायालय शुल्क के भुगतान के लिए न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट या विस्तारित अवधि के भीतर विवाद का निपटारा करते हैं, तो वादी को शेष न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा।] यदि सी. पी. सी. की धारा 80 के अनुसार, नोटिस देने में विफलता के लिए कोई शिकायत खारिज कर दी जाती है, तो भुगतान की गई अदालत की फीस खो सकती है। समान रूप से, भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 69 के उल्लंघन के लिए, यदि शिकायत खारिज कर दी जाती है, तो वादी अदालत की फीस खो देता है। हालाँकि यह वादी पर कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आदेश VII नियम 11 में निहित प्रावधान के प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं, बशर्ते कि हम बाद में क्या करेंगे।

पर।

63. गंगा तारो (उपरोक्त) मामले में बंबई उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ जिन पहलुओं पर विचार किया गया, उनमें से एक यह है कि ऐसे मामले में जहां सी. पी. सी. की धारा 80 के तहत कोई नोटिस जारी किए बिना मुकदमा दायर किया जाता है, यदि प्रतिवादी धारा 80 के उल्लंघन की याचिका को नहीं उठाता है, तो छूट दी जा सकती है। इस प्रकार, भले ही किसी दिए गए मामले में धारा 12 ए, जहां प्रतिवादी मामला स्थापित नहीं करता है, वहां छूट दी जा सकती है और इसलिए, धारा 12 ए अनिवार्य नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश को पलटते हुए कहा कि धारा 12 ए के तहत छूट नहीं दी जा सकती है।

जनहित के आधार पर। विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण हमारी सराहना नहीं करता है। सवाल यह है कि क्या धारा 12 ए है अनिवार्य है या नहीं, इसका निर्णय उपयोग की गई भाषा, अधिनियम के उद्देश्य और कई अन्य पहलुओं के संदर्भ में किया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि यदि कोई प्रतिवादी धारा 12 ए के अनुपालन के बारे में याचिका नहीं उठाता है, तो इसके परिणामस्वरूप छूट का मामला हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप धारा 12 ए अनिवार्य नहीं हो सकती है। यदि ऐसा था, तो ऐसे मामले में जहां धारा 80 के तहत कोई नोटिस नहीं है, एक शिकायत को कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता है। यह कानूनी रूप से असमर्थनीय है और तर्क की अवहेलना करता है। विद्वान वकील श्री साकेत सीकरी द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश की पुष्टि की है कि मुकदमे को निलंबित एनिमेशन में रखा जाए और पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। उनके अनुसार, यह अधिनियम की धारा 12 ए का पर्याप्त अनुपालन है। यह विशेष रूप से उचित है। उन्होंने यह भी बताया कि

मध्यस्थता प्रक्रिया में सहयोग न करने में भी अपीलार्थी का आचरण।

हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। हम अपने निष्कर्ष को उचित ठहराने में हमारी सहायता के लिए सी. पी. सी. की धारा 80 का उल्लेख करेंगे। सी. पी. सी. की धारा 80 (1) के तहत, एक मुकदमा जो धारा 80 (2) के दायरे में नहीं आता है, जो पूर्व प्रावधान की अवहेलना में दायर किया जाता है, जो बिना कोई नोटिस दिए दायर किया जाता है। बनाए रखने योग्य। मुकदमा वर्जित होगा और आदेश VII नियम 11 के तहत खारिज किया जा सकता है। एकमात्र अपवाद वह है जो धारा 80 (2) में प्रदान किया गया है। यह तत्काल या अंतरिम राहत प्राप्त करने के लिए एक मुकदमे पर विचार करता है। इस तरह का मुकदमा धारा 80 (1) के तहत आवश्यक कोई नोटिस दिए बिना अदालत की अनुमति से शुरू किया जा सकता है। ऐसे मामले में जहां कोई वादी धारा 80 (2) के तहत तत्काल अंतरिम राहत की मांग नहीं करता है, मुकदमा धारा 80 (1) की चार दीवारों के भीतर आएगा। धारा 80 (1) अनिवार्य है। के संबंध में

इस तरह के मुकदमे में, पर्याप्त अनुपालन का कोई सवाल ही नहीं है। मुकदमा आदेश VII नियम 11 के तहत शक्ति का आह्वान करने पर शिकायत की अस्वीकृति में समाप्त होना चाहिए। हम तुरंत सी. पी. सी. की धारा 80 (1) और अधिनियम की धारा 12 ए के बीच एक समानांतर रेखा खींच सकते हैं। धारा 12 ए में भी, वाद की स्थापना का प्रतिबंध केवल उस मामले में लागू होता है जिसमें वादी ऐसा नहीं करता है।

तत्काल अंतरिम राहत पर विचार करें। स्थिति ऐसी है जैसे

सी. पी. सी. की धारा 80 (1) में विचार किया गया। दूसरे शब्दों में, अधिनियम के तहत मुकदमा जो तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करता है, एक मुकदमे की तरह है

धारा 80 (1) में क्या आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि अलग मामला है कि न्यायालय एक उदार दृष्टिकोण ले सकता है कि क्या अनुपालन है। वास्तव में धारा 80 (3) इस स्थिति को स्पष्ट करती है। इससे पहले भी धारा 80 को 1976 के अधिनियम 104 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसके द्वारा

80 (3) रघुनाथ दास बनाम में सम्मिलित किया गया था। भारत संघ और अन्य 27

जिस मामले में नोटिस दिया गया था, उस पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

27 एयर 1969 एससी 674 एस. पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. चेजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 8. उस धारा द्वारा अनुध्यात सूचना का उद्देश्य संबंधित सरकारों और लोक अधिकारियों को कानूनी स्थिति पर पुनर्विचार करने का अवसर देना और बिना मुकदमेबाजी के, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो संशोधन करना या दावे का निपटान करना है। हमारी राय में उस धारा के पीछे विधायी इरादा यह है कि अनावश्यक मुकदमेबाजी पर सार्वजनिक धन और समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए और सरकार और लोक अधिकारियों को एक उचित अवसर दिया जाना चाहिए

उनके खिलाफ किए गए दावे की जांच करने के लिए ताकि उन्हें टालने योग्य मुकदमों में खींचा जा सके। कानून का उद्देश्य न्याय की प्रगति है। सी. पी. सी. की धारा 80 के प्रावधानों का उद्देश्य अज्ञानी और अनपढ़ व्यक्तियों के खिलाफ बूबीट्रैप के रूप में उपयोग करना नहीं है। इस मामले में हम एक संकीर्ण प्रश्न से चिंतित हैं। क्या नोटिस में वादी के रूप में उल्लिखित व्यक्ति वर्तमान मुकदमा लाया है या वह कोई और है? इस सवाल का फैसला पढ़ने से करना है।

समग्र रूप से उचित तरीके से सूचना।

9. ध्यान सिंह सोभा सिंह बनाम। भारत संघ [(1958) एस. सी. आर. 781,795] इस न्यायालय ने कहा कि सी. पी. सी. की धारा 80 की शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि इन शर्तों का अर्थ पांडित्यपूर्ण तरीके से या सामान्य ज्ञान से पूरी तरह से अलग किया जाना चाहिए। द. उस निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया हैः

हालाँकि इसका मतलब यह नहीं है कि नोटिस की शर्तों की पांडित्यपूर्ण तरीके से या पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। सामान्य ज्ञान से तलाक हो गया। जैसा कि पोलक सी. बी. ने जोन्स बनाम में कहा था। निकोल्स ने कहा, "हमें इस तरह के नोटिसों में थोड़ा सामान्य ज्ञान लाना चाहिए।" ब्यूमोंट, सी. जे. ने चंदूलाल वादीलाल बनाम में भी देखा। बॉम्बे सरकार "किसी को भी सामान्य ज्ञान के संबंध में धारा 80 का अर्थ निकालना चाहिए

और उस उद्देश्य के लिए जिसके साथ यह पारित किया गया प्रतीत होता है।

65. मध्यस्थता की अवधि तीन महीने है। यदि पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से समझौता करने की संभावना को गर्मजोशी से देखते हैं, तो यह उनकी सहमति पर हो सकता है

एक और दो महीने के लिए रखा। इस प्रकार, एक बार के भुगतान के लिए मामला, जिसकी वकील की सहायता से एक कुशल मध्यस्थ द्वारा सफलतापूर्वक मध्यस्थता की जाती है, उसी विवाद का निपटारा हो जाता है।

अदालतों पर दबाव इस हद तक हटा दिया जाता है कि पक्षकार बिना

न्यायालय के संदर्भ, मध्यस्थता से गुजरने के लिए मजबूर हैं।

66. अधिनियम की धारा 12 ए मध्यस्थता का प्रावधान करती है। यह एक

प्रावधान, जिसे वर्ष 2018 में अधिनियमित संशोधन अधिनियम (2018 का अधिनियम 28) के अनुसार जोड़ा गया था और यह डब्ल्यू. ई. एफ. 03.05.2018 से लागू हुआ। उक्त संशोधन द्वारा, वास्तव में, अध्याय IIIA जोड़ा गया था और धारा 12 ए उक्त अध्याय की एकमात्र धारा है। धारा 12 ए का एक सादा अध्ययन निम्नलिखित स्थिति को स्पष्ट करता हैः

कानून-दाता ने घोषणा की है कि यदि अधिनियम के तहत कोई मुकदमा किसी तत्काल अंतरिम राहत पर 'विचार' नहीं करता है, तो यह नहीं हो सकता है

इसकी स्थापना तब तक की जाती है जब तक कि वादी मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता की मांग न करे। संस्था-पूर्व मध्यस्थता विधि, प्रक्रिया में की जानी है,

जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है। इससे पहले

मुकदमेबाजी मध्यस्थता तीन वर्षों की अवधि के भीतर पूरी की जानी है।

उप-धारा (1) के तहत वादी द्वारा किए गए आवेदन की तारीख से महीनों [धारा 12 ए उप-धारा (3) देखें]। हालांकि, तीन महीने की अवधि को दो महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि पक्षों द्वारा इसके लिए सहमति हो [धारा 12 ए उप-धारा (3) का पहला प्रावधान देखें]। दूसरे परंतुक द्वारा, विधानमंडल ने यह प्रावधान करने का ध्यान रखा है कि अवधि के दौरान,

जिसे लेकर पक्षकार पूर्व-मुकदमेबाजी में व्यस्त रहे

मध्यस्थता को सीमा अधिनियम, 1963 के तहत सीमा की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से नहीं माना जाना चाहिए। यदि पक्ष समझौते पर पहुंचते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में प्रदान किया जाता है

धारा 12 क उप-धारा (4) के लिए। समझौते को लिखित रूप में कम किया जाना चाहिए और विवाद के पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और

मध्यस्थ। धारा 12 ए में अनुध्यात संस्था-पूर्व मध्यस्थता के दौरान हुए समझौते की प्रभावशीलता पर धारा 12 ए उप-धारा (5) में चर्चा की गई है। संसद ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत सहमत शर्तों पर समझौते को वही दर्जा और प्रभाव दिया है, जैसे कि यह एक मध्यस्थ पुरस्कार है। पाँच में फैला हुआ

उप-धाराएँ, अध्याय IIIA में यह एकल खंड, निस्संदेह, नियमों द्वारा समर्थित, हमारे विचार में, काफी हद तक प्रकट करता है

कथित तात्कालिकता से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निश्चित योजना

न्याय वितरण प्रणाली की तीव्र रुकावट की समस्या, जिसे भीड़भाड़ से मुक्त करना पड़ा। धारा 12 ए को केवल त्वरित न्याय तक पहुँचने के उद्देश्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, और इससे भी अधिक, शर्तों पर, एम/एस।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

जो संबंधित पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह राष्ट्र के हित पर एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करने के लिए था। हमने उद्देश्यों और कारणों के कथन का अध्ययन किया है। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए व्यापार करने में आसानी के अपने निचले मानक को बढ़ाकर, वाणिज्यिक मामलों में एक कुशल और त्वरित न्याय वितरण प्रणाली का प्रदर्शन करना आवश्यक था और अभी भी आवश्यक है। वास्तव में, भारत, जो 2015 में कारोबार करने में आसानी के सूचकांक में 189 देशों में से 142 वें स्थान पर था, वर्ष 2016 में चढ़कर केवल 130 वें स्थान पर पहुंच गया। 2020 तक भारत 63 वें स्थान पर था।

संविधान के आदेश VII नियम 11 के तहत शासन

सीपीसी

67. आदेश VII नियम 11 घोषणा करता है कि शिकायत को 6 पर खारिज किया जा सकता है।

आधार। इनमें कार्रवाई के कारण का खुलासा करने में विफलता शामिल है, और जहां वाद वादी के बयान से वर्जित होने के लिए दिखाई देता है। हम इन मामलों में बाद वाले के बारे में चिंतित हैं। आदेश VII नियम 12 में प्रावधान है कि जब कोई शिकायत खारिज कर दी जाती है, तो कारणों के साथ उस प्रभाव का आदेश दर्ज किया जाना चाहिए। आदेश VII नियम 13 में यह प्रावधान है कि आदेश VII नियम 11 में उल्लिखित वाद की अस्वीकृति स्वयं वादी को कार्रवाई के उसी कारण के संबंध में नए सिरे से वाद प्रस्तुत करने से नहीं रोकती है। आदेश VII विभिन्न पहलुओं से संबंधित है कि एक शिकायत में क्या अनुरोध किया जाना है, दस्तावेज़ जो साथ होने चाहिए और अन्य विवरण। आदेश IVRul 1 में प्रावधान है कि अदालत या अदालत द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी को शिकायत प्रस्तुत करके एक मुकदमा शुरू किया जाता है। आदेश IVRul 1 (3) के आधार पर, एक वाद को केवल तभी विधिवत स्थापित माना जाना चाहिए जब वह आदेश Vland आदेश VII के तहत आवश्यकताओं का पालन करता है। आदेश वी नियम 1

घोषणा करता है कि जब एक मुकदमा विधिवत स्थापित किया गया है, तो एक समन हो सकता है

प्रतिवादी को उसमें निर्दिष्ट तिथि पर दावे का जवाब देने के लिए जारी किया गया। आदेश में अन्य विवरण हैं जिनके साथ हमें हिरासत में नहीं रखा जाना है। हमने इन नियमों का उल्लेख इस प्रश्न पर विचार करने के लिए मंच तैयार करने के लिए किया है कि क्या आदेश VII नियम 11 के तहत शक्ति

केवल प्रतिवादी द्वारा आवेदन और उस चरण पर प्रयोग किया जाता है जिस पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। पाटसीबाई और अन्य बनाम। रतनलाल 28, विशिष्ट तर्कों में से एक यह था कि पहले ली गई शिकायत को अस्वीकार करने के लिए कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं थी। मामले के तथ्यों में, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 13. अभिलेख से ही प्रकट होने वाले स्वीकृत तथ्यों पर, सीखा गया

प्रत्यर्थी के लिए वकील, यह दिखाने में असमर्थ था कि सभी या किसी भी

शिकायत में ये कथन कार्रवाई को बढ़ावा देने के कारण का खुलासा करते हैं

एक परीक्षण योग्य मुद्दे के लिए। वास्तव में, श्री साल्वे इस पर विवाद करने में असमर्थ थे

अपरिहार्य परिणाम कि वाद अस्वीकार किए जाने योग्य था

इन अभिकथनों पर आदेश VII नियम 11, सी. पी. सी. के तहत। यह सब श्री

मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए। हमारी राय में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निचली अदालत अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रही और जारी करने के लिए आगे बढ़ी

अभियोग और उच्च न्यायालय को ध्यान से पढ़े बिना समन

इस घातक दोष को भी नजरअंदाज कर दिया। चूँकि शिकायत इस से पीड़ित है

घातक दोष, केवल निचली अदालत द्वारा समन जारी करना

यह आवश्यक नहीं है कि परीक्षण तब भी आगे बढ़े जब कोई परीक्षण योग्य न हो

समस्या उत्पन्न होती दिखाई देती है। इस तरह के मुकदमे को जारी रखने की अनुमति देना। यह तुच्छ और परेशान करने वाले मुकदमे को लाइसेंस देने के समान है। यह

ऐसा नहीं किया जा सकता "।

(जोर दिया गया)

68. आदेश IV, V की योजना पर विचार करने पर और

सी. पी. सी. में, हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं:

((क) वाद प्रस्तुत करके वाद शुरू किया जाता है। तिथि

अधिनियम उक्त उद्देश्य के लिए प्रस्तुत करने की तिथि है। एक्ट करें। आदेश IV नियम 1 (3) के आधार पर, वाद की संस्था,

हालाँकि, यह केवल तभी पूरा होता है जब शिकायत असंगत होती है आदेश VI और आदेश VII की आवश्यकता के साथ।

(ख) जब अदालत समन जारी करने के सवाल पर फैसला करती है।

आदेश 5 नियम 1 के तहत, अदालत को किस पर विचार करना चाहिए

क्या कोई मुकदमा विधिवत स्थापित किया गया है।

(ग) आदेश VII नियम 11 में यह प्रावधान नहीं है कि न्यायालय

अभियोग को अस्वीकार करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन केवल एक पर

आवेदन। आदेश VII नियम 11, वास्तव में, किसी भी बारे में चुप है। ऐसी आवश्यकता। चूँकि समन विधिवत जारी किया जाना है

स्थापित वाद, एक ऐसे मामले में जहां वाद के तहत वर्जित है

आदेश VII नियम 11 (डी), चरण उस समय शुरू होता है जब

अदालत आदेश VII नियम 11 के तहत शिकायत को खारिज कर सकती है। नहीं। संदेह है कि यह एक स्पष्ट मामले को ले जाएगा जहां अदालत संतुष्ट है।

एम/एस। पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

न्यायालय को आदेश VII नियम 12 के तहत कारण देने के अलावा अपनी शक्ति का उपयोग करने से पहले वादी को सुनना होता है। एक स्पष्ट मामले में, जहां मुकदमे में आरोपों पर, यह पाया जाता है कि

मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, जैसा कि मामला होगा, जहां अधिनियम के तहत एक मुकदमे में वादी धारा 12ए की आवश्यकता से अपना मामला लेने के लिए परिस्थितियों का अनुरोध नहीं करता है, तो शिकायत को समन जारी किए बिना खारिज कर दिया जाना चाहिए। निस्संदेह, समन जारी करने पर प्रतिवादी के लिए आदेश VII नियम 11 के तहत भी आवेदन करने के लिए हमेशा खुला रहेगा। दूसरे शब्दों में, आदेश VII नियम 11 के तहत शक्ति अदालत को स्वतः ही प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है। (इस संबंध में, मदिराजू वेंकट रमण राजू (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय देखें।

स्थल और संस्थान की उपस्थिति

सूट

69. बहस का एक अन्य क्षेत्र वाद की प्रस्तुति और वाद की स्थापना के बीच के अंतर के बारे में रहा है। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (2) में प्रावधान है कि सीमा अधिनियम के उद्देश्य के लिए, सामान्य मामले में एक मुकदमा दायर किया जाता है, जब शिकायत को उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। एक भिखारी के मामले में, मुकदमा तब दायर किया जाता है जब एक भिखारी के रूप में मुकदमा करने के लिए उसका आवेदन किया जाता है। आदेश IV नियम 1

सी. पी. सी. इस प्रकार हैः

" आदेश IV नियम 1. अभियोग द्वारा शुरू किया जाने वाला मुकदमा। - (1) प्रत्येक वाद को डुप्लिकेट में एक वाद प्रस्तुत करके स्थापित किया जाएगा

न्यायालय या ऐसा अधिकारी जिसे वह इस संबंध में नियुक्त करता है। (2) प्रत्येक वाद आदेश VI और VII में निहित नियमों का पालन करेगा, जहाँ तक वे लागू हैं।

उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। 70. आदेश IV नियम 1 का उप-नियम (3) 1999 के अधिनियम 46 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.07.2002 द्वारा जोड़ा गया था। श्री शरत चंद्रन ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

ओलंपिक कार्ड्स लिमिटेड बनाम। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 2 9. में।

उक्त मामले में, जो सवाल उठा, वह यह था कि क्या आदेश के अर्थ के भीतर मुकदमा त्याग दिया गया था या वापस लिया गया था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ताजा सूट। इस संदर्भ में, हम निम्नलिखित चर्चा पर ध्यान देते हैं: " 16. सी. पी. सी. के आदेश 4 के नियम (1) में मुकदमे की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। आदेश 4 के नियम 3 और 4 में यह वैधानिक निर्देश है कि -

शिकायत को एक वैध शिकायत की आवश्यक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और उसके बाद ही दाखिल करने की प्रक्रिया एक मुकदमे के पंजीकरण में समाप्त होगी। सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस के नियम 21 में प्रस्तुति और संस्थान के बीच बुनियादी अंतर है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिका दायर करने की तारीख को सीमा के उद्देश्य से गिना जाएगा। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मुकदमा वैध रूप से याचिका दायर करके स्थापित किया गया था। याचिका, जो आदेश 4 और 7 में निहित नियमों का पालन नहीं करती है, एक वैध याचिका नहीं है। न्यायालय शुरू में एक डायरी संख्या देगा जो दर्शाता है कि सूट की प्रस्तुति। यदि शिकायत वापस की जाती है, तो यह "वापस की गई याचिका" के रूप में रहेगी न कि "वापस की गई याचिका" के रूप में। मुक़दमे की संख्या निर्धारित करने और मुक़दमे के रजिस्टर में शामिल करने का कार्य ही मुक़दमे की संस्था का गठन करेगा। इससे पहले के चरण

सूट का पंजीकरण सभी प्रारंभिक प्रकृति के हैं। पंजीकरण से पहले शिकायत की वापसी का उद्देश्य अनुपालन करना है -

न्यायालय द्वारा इंगित कुछ दोष। याचिका स्वीकार करने के बाद आगे की प्रक्रिया आदेश 7 के नियम 9 में दर्शाई गई है। इस प्रावधान से पता चलता है कि अदालत शिकायत को स्वीकार करने और मुकदमा दर्ज करने के बाद पक्षों को समन जारी करेगी। इसके बाद केवल प्रतिवादी रिकॉर्ड पर आ रहे हैं, अपवाद उनके हैं

चेतावनी दर्ज करके उपस्थिति। शिकायत स्वीकार करने के बाद भी,

न्यायालय सी. पी. सी. के आदेश 7 के नियम 10 के तहत अधिकारिता के आधार पर वाद वापस कर सकता है। यह तथ्य कि वादी/याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी/प्रतिवादी को मुकदमा/याचिका दायर करने से पहले वाद/याचिकाओं की प्रतियां दी हैं, वाद/याचिका दायर करने की संस्था के बराबर नहीं होगी। यह केवल तभी कहा जा सकता है जब न्यायालय शिकायत को स्वीकार करता है, इसे पंजीकृत करता है और इसे मुकदमा रजिस्टर में दर्ज करता है, यह कहा जा सकता है कि मुकदमा वैध रूप से स्थापित है।

17. इसलिए, यह स्पष्ट है कि वाद के पंजीकरण से पहले कोई भी त्याग वापस लेने या रद्द करने का गठन नहीं करेगा।

आदेश 23, नियम 1 के अर्थ के भीतर वाद का परित्याग,

सी. पी. सी., ताकि उसी प्रकृति के बाद के मुकदमे के लिए एक कानूनी बार के रूप में काम किया जा सके। यह केवल एक कानूनी कार्यवाही की मुद्रा के दौरान निकासी या परित्याग वादी एम/एस को रोक देगा।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

के आधार पर बाद में एक नया मुकदमा दायर करने के लिए

कार्रवाई का एक ही कारण "।

71. तर्क यह प्रतीत होता है कि यह लेना एक उचित दृष्टिकोण हो सकता है कि धारा 12 ए के अर्थ के भीतर मुकदमे की कोई संस्था नहीं है। जब तक न्यायालय शिकायत को स्वीकार नहीं करता और इसे वाद रजिस्टर में दर्ज नहीं करता। दूसरे शब्दों में, शिकायत की प्रस्तुति सी. पी. सी. के आदेश IV नियम 1 और अधिनियम की धारा 12 ए के उद्देश्य के लिए मुकदमे की स्थापना के बराबर नहीं हो सकती है। यदि इस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, तो यह इंगित किया जाता है कि प्रस्तुत करने के बाद शिकायत दर्ज होने से पहले और धारा 12 ए का गैर-अनुपालन होने पर, वादी को धारा 12 ए के अधिदेश का पहले पालन करने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा

अदालतें वास्तव में ऐसे मामलों पर समय बिताती हैं। तथ्यों में, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है और इस मामले को आगे खोजना आवश्यक नहीं हो सकता है।

72. हम अपने तर्क का सारांश इस प्रकार दे सकते हैं:

इस अधिनियम में मूल रूप से धारा 12 ए शामिल नहीं थी। वर्ष 2018 में संशोधन द्वारा धारा 12 ए को जोड़ा गया था। उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्पष्ट है कि धारा 12 ए को अनिवार्य माना गया था। अधिनियम का उद्देश्य और

2018 के अधिनियम में संशोधन, कम से कम आंशिक रूप से एक वादी पर अनिवार्य मध्यस्थता को लागू करने की ओर इशारा करता है जो तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करता है। इस प्रावधान पर केवल उन वादियों के संदर्भ में विचार किया गया है जो तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करते हैं। विधायिका ने गणना की सीमा के लिए मध्यस्थता के दौरान गुज़री अवधि को स्पष्ट रूप से बाहर करने का ध्यान रखा है सीमा
अधिनियम, 1963। उद्देश्य स्पष्ट है। यह एक निर्विवाद वास्तविकता है कि भारत में अदालतें एक असाधारण विस्फोट की चपेट में हैं। एक वैकल्पिक विवाद तंत्र के रूप में मध्यस्थता की पहचान वाणिज्यिक मामलों में एक व्यवहार्य समाधान के रूप में की गई है। दूसरे शब्दों में, अधिनियम के तहत मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जा सकता है। किसी को भी दीवानी मुकदमा दायर करने का पूर्ण अधिकार नहीं है। दीवानी मुक़दमे को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है या बार

जब तक कुछ शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक काम करें। बिन्दु में मामले, जो इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं, सीपीसी की धारा 80 हैं और

भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 69। में प्रयोग की जाने वाली भाषा धारा 12 ए, जिसमें 'होगा' शब्द शामिल है, निश्चित रूप से एक लंबी अवधि तक चलती है।

न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में सहायता करने का तरीका कि प्रावधान अनिवार्य है। मध्यस्थता करने की पूरी प्रक्रिया को नियमों में वर्णित किया गया है। पक्षकार वकील [2022] 11 एस. सी. आर. को शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

मध्यस्थता के दौरान। जहाँ तक मध्यस्थ को देय शुल्क का संबंध है, खर्च एकमुश्त शुल्क तक सीमित है, जो विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतीत होता है कि इसे समान रूप से साझा किया जाना है। एक प्रशिक्षित मध्यस्थ चमत्कार कर सकता है।

मध्यस्थता को न्याय तक पहुँच के एक नए तंत्र के रूप में देखा जाना चाहिए। हम पहले ही इसके लाभों पर प्रकाश डाल चुके हैं। धारा 12 ए, एक अनिवार्य व्याख्या देने के लिए न्यायालय की ओर से किसी भी तरह की अनिच्छा के परिणामस्वरूप संसद के उद्देश्य और इरादे को विफल कर दिया जाएगा। यह तथ्य कि मध्यस्थता एक गैर-प्रारंभिक बन सकती है, प्रावधान को अनिवार्य नहीं मानने का कारण नहीं हो सकता है। जाहिरा तौर पर, कानून देने वाले का मूल्य निर्णय प्रतिवादी के लिए कुछ हद तक स्वैच्छिकता का प्रावधान देना है, जबकि वादी, जो अदालत का दरवाजा खटता है, उसे अनिवार्य रूप से इसका सहारा लेना चाहिए। धारा 12 ए अधिनियम और नियमों के तहत समझौते को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 30 (4) के अर्थ के भीतर एक पुरस्कार के रूप में उन्नत करती है, जिससे इसे सार्थक प्रवर्तनीयता मिलती है। मध्यस्थता में बिताई गई अवधि को सीमा के उद्देश्य से बाहर रखा गया है। यह अधिनियम पक्षों के आचरण के आधार पर लागत का आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है।

73. हमारे समक्ष मामलों में, मुकदमे तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करते हैं। विचार करने वाले सूटों में क्या होना चाहिए

तत्काल अंतरिम राहत या बल्कि 'चिंतन' या तत्काल अंतरिम राहत शब्द का अर्थ, हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 'चिंतन' शब्द के बारे में उठाया गया दूसरा पहलू यह है कि धारा 12 ए के तहत वैधानिक मध्यस्थता को दरकिनार करने के प्रयास किए जा सकते हैं, यह तर्क देते हुए कि वादी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार कर रहा है, जो वास्तव में बिना किसी आधार के पाया जाता है। सी. पी. सी. की धारा 80 (2) मुकदमा दायर करने की अनुमति देती है जहां अदालत की अनुमति लेकर तत्काल अंतरिम राहत मांगी जाती है। धारा 80 (2) के परंतुक में विचार किया गया है कि न्यायालय, यदि पक्षों को सुनने के बाद, संतुष्ट हो जाता है कि मुकदमे में कोई तत्काल या तत्काल राहत देने की आवश्यकता नहीं है, तो अनुपालन के बाद अदालत में प्रस्तुत करने के लिए वाद को वापस कर देगा। हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि धारा 12 ए ऐसी प्रक्रिया पर विचार नहीं करती है। यह एक ऐसा मामला है जो शामिल हो सकता है

विधायक का ध्यान। हम एक बार फिर दोहराते हैं कि ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। स्वीकार किए गए मामलों के तथ्य में विचाराधीन मैदानों में कोई तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं किया गया है।

कुछ विचार

74. मध्यस्थता एक शक्तिशाली वैकल्पिक विवाद समाधान उपकरण बन सकता है। हालाँकि, कुछ अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं। पहला एम/एस।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

आवश्यकता पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अस्तित्व है और जो अधिक महत्वपूर्ण है, वह है प्रशिक्षित और कुशल मध्यस्थों की उपलब्धता। नियमों के नियम (5) के अनुसार मध्यस्थ की भूमिका वाणिज्यिक विवाद के स्वैच्छिक समाधान को सुविधाजनक बनाना और इस संबंध में पक्षों की सहायता करना है। एक मध्यस्थ, जो ठीक से प्रशिक्षित नहीं है, कैसे अपना काम पूरा कर सकता है। नियम (5) के तहत जिम्मेदारी? चिंता का एक अन्य क्षेत्र देश में मध्यस्थों की संख्या में उपलब्धता है, विशेष रूप से, मौद्रिक मूल्यांकन को रुपये से कम करने के आलोक में। 1 करोड़ से रु। 3 एक लाख। यह है।

इस मामले की तरह उदात्त उद्देश्यों के साथ एक कानून पारित करना ठीक है। हालाँकि, यह लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकारें और अन्य सभी

संबंधित अधिकारी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के मामले में अपना ध्यान देते हैं। कानून का ज्ञान, जो अधिनियम के तहत मुकदमों का विषय है, एक मध्यस्थ के लिए अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए अपरिहार्य है। उनकी भूमिका सर्वोच्च है और यह काफी हद तक वाणिज्यिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून के बारे में उनके अपने ज्ञान से आकार लेती है। राज्य न्यायिक अकादमियों सहित विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह इसे नियमित और तत्काल आधार पर किया जाना चाहिए, विशेष रूप से प्रशिक्षित मध्यस्थों की कमी को ध्यान में रखते हुए। मध्यस्थता के लिए एक समर्पित प्रतिबंध की आवश्यकता है। बार की प्रभावी भागीदारी, जिसे उसकी सेवा के लिए पर्याप्त रूप से पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, मध्यस्थता को विकसित करने में सहायता करेगी। संबंधित उच्च न्यायालय आवश्यकता के अनुसार जिला और तालुका स्तरों पर प्रशिक्षित मध्यस्थों का एक पैनल स्थापित करने के लिए समय-समय पर अभ्यास भी कर सकता है।

75. 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 14697 से उत्पन्न दीवानी अपील में, यह हमारे ध्यान में लाया जाता है कि विशेष अनुमति याचिका दायर करने के बाद,

सी. पी. सी. के आदेश XXXVII के तहत मुकदमा चलाया गया था, श्री आयुष नेगी तर्क देंगे कि प्रतिवादी वादी ने संक्षिप्त निर्णय पर जोर दिया है और यदि यह न्यायालय अपीलार्थी को राहत नहीं देता है, तो बचाव को शामिल किया जा सकता है जिससे अपीलार्थी के लिखित बयान को बचाव की अनुमति के रूप में माना जा सके।

द रिलीफ

76. हमने जो निष्कर्ष दर्ज किए हैं, उन पर विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदनों की अनुमति दी जानी चाहिए। यह

इसका मतलब यह होगा कि पट्टों को अस्वीकार किया जाना चाहिए। आवश्यक रूप से, इसमें इन मामलों में वादी द्वारा भुगतान किए गए न्यायालय शुल्क का नुकसान शामिल होगा। आदेश VII नियम 13 के तहत अनुमति के अनुसार, धारा 12 ए का पालन करने के बाद उन्हें एक नया मुकदमा लाना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा 2018 के संशोधन अधिनियम की तारीख से संबंधित होगी।

2] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

77. श्री साकेत सीकरी की एक याचिका है कि यदि यह अदालत मानती है कि धारा 12 ए अनिवार्य है तो यह केवल संभावित प्रभाव के साथ हो सकता है। उन्होंने जरनैल सिंह और अन्य बनाम में इस न्यायालय के फैसले का समर्थन प्राप्त किया। लछमी नारायण गुप्ता और अन्य 3 0

" 35. संविधान के अनुच्छेद 142 के दायरे की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश का कानून है और इस तरह घोषित करने में, कानून के संचालन को भविष्य तक सीमित किया जा सकता है, जिससे पिछले लेनदेन को बचाया जा सकता है।

36. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति वैधानिक निषेध से परे एक घटक शक्ति है। [(1997) 5 एससीसी 201]। उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य [(1991) पूरक। 1 एस. सी. सी. 430], इस न्यायालय ने कहा कि राहत को सबसे उपयुक्त तरीके से दिया जा सकता है, ढाला जा सकता है या प्रतिबंधित किया जा सकता है

उसके सामने की स्थिति इस तरह से कि न्याय के हितों को आगे बढ़ाया जा सके। संभावित अतिनिर्णय का सिद्धांत मूल रूप से उस सिद्धांत की मान्यता है जो अदालत ने दावा किए गए राहतों को ढाला है।

मामले के न्याय को पूरा करने के लिए, जैसा कि सोमैया ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लिमिटेड में अभिनिर्धारित किया गया है। यू. पी. का राज्य [(2001 5 एससीसी 519]। यह आगे स्पष्ट किया गया कि गोलक नाथ (ऊपर) में, 'संभावित'

'अधिमूल्यांकन' में उसी मुद्दे पर एक पूर्व न्यायिक निर्णय निहित था जो अन्यथा अंतिम था, इस न्यायालय ने शक्ति का उपयोग किया था

जब पहली बार किसी मुद्दे पर निर्णय लिया जाता है। इस न्यायालय के अन्य निर्णयों को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिन्होंने मंजूरी दी है और

संभावित ओवररुलिंग या संभावित के सिद्धांत को लागू किया निर्णयों का संचालन। इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं हो सकता है कि यह न्यायालय अपने निर्णय को संभावित रूप से लागू कर सकता है, अर्थात

पिछले लेन-देन को सहेजने के लिए इसके निर्णय की तारीख।

78. संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत ने एल. सी. गोलक नाथ और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले के साथ अपनी पारी शुरू की। की स्थिति

पंजाब और अन्य 3 1. उक्त मामले में इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32,141 और 142 पर भरोसा किया और इस सिद्धांत का विस्तार किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित था। इस सिद्धांत में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को एक संभावित तिथि से प्रभावी बनाना शामिल है, आमतौर पर

निर्णय की तिथि। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि शुरू में यह सिद्धांत संविधान के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों तक ही सीमित था, लेकिन बाद में इसे कानून के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया गया है।

30 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 96

31 एयर 1967 एससी 1643 एस. पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. चेजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]79. ताहेराखातून में (डी) एलआरएस द्वारा। वी. सलाम्बिन मोहम्मद 3 2 अदालत अपनी शक्तियों या अपनी शक्ति पर सीमा से निपटने के दौरान

अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अवकाश देने के बाद निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गयाः

" 20. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, भले ही अब हम

विशेष अनुमति दिए जाने के बाद अपील से निपटने के लिए, हम गुण-दोष में जाने के लिए बाध्य नहीं हैं और भले ही हम ऐसा करते हैं और कानून की घोषणा करते हैं या त्रुटि इंगित करते हैं-फिर भी हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं यदि तथ्यों पर मामले के न्याय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है या यदि हमें लगता है कि राहत को एक अलग तरीके से ढाला जा सकता है।

80. एम/एस में। सोमैया ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम उत्तर राज्य 3 3 33, न्यायालय ने सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया।

" 25. "संभावित अतिनिर्णय" शब्दों का तात्पर्य उसी मुद्दे पर पहले के न्यायिक निर्णय से है जो अन्यथा अंतिम था। वह यह है कि गोलक नाथ [ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1643 में इसे कैसे समझा गया थाः (1967) 2 एससीआर 762]। हालाँकि, इस न्यायालय ने शक्ति का उपयोग तब भी किया है जब

पहली बार किसी मुद्दे पर निर्णय लेना। इस प्रकार, इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम. टी. एन. राज्य [(1990) 1 एस. सी. सी. 12] जब इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उपकर मद्रास की धारा 115 के तहत लगाया जाना चाहिए। 1964 के मद्रास अधिनियम 18 द्वारा संशोधित पंचायत अधिनियम, 1958 असंवैधानिक था, इसने न केवल तमिलनाडु राज्य को इसे आगे लागू करने से रोका, बल्कि यह भी निर्देश दिया कि राज्य पहले से भुगतान किए गए उपकर के किसी भी रिफंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

या संग्रहित।

28. अंतिम विश्लेषण में, शब्दावली के बावजूद, संभावित अतिनिर्णय, केवल इस सिद्धांत की मान्यता है कि अदालत मामले के न्याय को पूरा करने के लिए दावा किए गए राहतों को ढालती है-न्याय।

अपने तार्किक रूप से नहीं बल्कि अपने न्यायसंगत अर्थों में। जहाँ तक इस देश का संबंध है, अनुच्छेद द्वारा स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान की गई है।

142 संविधान की धारा जो इस न्यायालय को "ऐसी डिक्री पारित करने या ऐसा आदेश देने की अनुमति देती है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो"। अभ्यास में

इस शक्ति के कारण, इस न्यायालय ने 'पूर्ण न्याय' करने के लिए दावेदारों के पक्ष में रहने के बावजूद दावा की गई राहत को अक्सर अस्वीकार कर दिया है।

9) 2 एस. सी. सी. 635

81. हम अगली बार पी. वी. जॉर्ज में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान दे सकते हैं।

असंवैधानिक है। पूर्ण पीठ के फैसले के बल पर कर्मचारियों को वापस करने की मांग की गई थी। इस न्यायालय ने इस निर्णय को स्वीकार किया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक पीएलसी में रिपोर्ट किया। वी. स्पेक्ट्रम प्लस लिमिटेड और अन्य। 35 जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 9. संभावित अधिमूल्यांकन कई अलग-अलग रूप लेता है। इसमें

सबसे सरल रूप संभावित अधिमूल्यांकन में एक निर्णय देने वाली अदालत शामिल होती है।

वर्तमान मामले में बैंक द्वारा मांगे गए चरित्र का। ओवररुलिंग

इस सरल या 'शुद्ध' प्रकार का प्रभाव है कि अदालत का फैसला

अदालती तारीख के बाद होने वाले लेन-देन या घटनाएँ निर्णय लें। इससे पहले किए गए सभी लेन-देन या होने वाली घटनाएँ

उस तारीख को कानून द्वारा शासित किया जाना जारी है जैसा कि इसकी कल्पना की गई थी

न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना निर्णय दिया।

10. संभावित अतिनिर्णय के अन्य रूप अधिक सीमित हैं और

' न्यायालय के सामान्य प्रभाव से उनके प्रस्थान में 'चयनात्मक'

निर्णय लेते हैं। इसके संचालन में निर्णय संभावित हो सकता है और, इसके अतिरिक्त, पक्षों के बीच इसके प्रभाव में पूर्वव्यापी

वह मामला जिसमें निर्णय दिया जाता है। या फैसला हो सकता है

संभावित और, इसके अतिरिक्त, पार्टियों के बीच पूर्वव्यापी

जिस मामले में निर्णय दिया गया था और इसके बीच भी

अदालतों के समक्ष पहले से ही लंबित किसी भी अन्य मामले में पक्षकार। वहाँ एक ही विषय पर अन्य भिन्नताएँ हैं।

(जोर दिया गया)

82. यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह न्यायालय अपने पिछले फैसले को पलट रहा है।

निर्णय, जो 2005 8 एस. सी. सी. 618 में सूचित निर्णय में मामला था। यह भी एक ऐसा मामला नहीं है जहां यह न्यायालय एक ऐसा कानून घोषित कर रहा है जिसके तहत विभिन्न लेनदेन शून्य हो गए हैं। यह सच हो सकता है कि संभावित अतिनिर्णय का सिद्धांत उपरोक्त परिस्थितियों में से किसी एक तक सीमित नहीं हो सकता है और इसका दायरा उस स्थिति की समानता के साथ सह-व्यापक है जिसके तहत कानून घोषित होने पर यह तय किए गए लेनदेन में घुसपैठ करने या फिर से खोलने की संभावना है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ

34 ए. आई. आर 2007 एस. सी. 1034

35 (2005) यूके एचएल 41 एम/एस।

पैटल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। वी. राखीजा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड [के. एम. जोसेफ, जे.]

न्यायालय उच्च न्यायालय के उस निर्णय को निरस्त कर रहा है जिसने लंबे समय तक इस क्षेत्र को संभाला हुआ है। इस संबंध में देखें, हर्ष ढींगरा बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य 36. उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 7.कानून की संभावित घोषणा इस न्यायालय द्वारा सुलझे हुए मुद्दों को फिर से खोलने से बचने और कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए एक नया उपकरण है। यह अनिश्चितता से बचने के लिए अपनाया गया एक उपकरण भी है।

और परिहार्य मुकदमेबाजी। भविष्य के उद्देश्य से

कानून की घोषणा यह माना जाता है कि इसके विपरीत की गई सभी कार्रवाइयाँ

घोषणा की तारीख से पहले कानून की घोषणा को मान्य किया जाता है। यह व्यापक जनहित में किया जाता है। इसलिए, जो अधीनस्थ मंच इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून को लागू करने के लिए बाध्य हैं, वे भी भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों में इस तरह के आदेश को लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। चूँकि यह निर्विवाद है कि एक अदालत किसी निर्णय को रद्द कर सकती है, इसलिए कोई वैध कारण नहीं है कि इसे भविष्य तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए और न ही अतीत तक। संभावित ओवररुलिंग

यह न केवल संवैधानिक नीति का एक हिस्सा है, बल्कि न्यायिक विधान नहीं, बल्कि टकटकी लगाने वाले निर्णय का एक विस्तारित पहलू भी है। इन सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा बाबूराम बनाम में प्रतिपादित किया गया है। सी. सी. जैकब [(1999)

3 एससीसी 362: 1999 एससीसी (एल एंड एस) 682: 1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 433 और अशोक कुमार गुप्ता बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(1997) 5 एस. सी. सी. 201: 1997 एससीसी

(एल एंड एस) 1299] "

83. जिस क़ानून ने विवाद पैदा किया है वह है

वर्ष 2018 का संशोधन अधिनियम। हमने देखा है कि निस्संदेह उच्च न्यायालयों के बीच एक निश्चित मात्रा में मतभेद है। द. अन्य विशेषता जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि, यह एक ऐसा मामला है जहां विचाराधीन कानून, संशोधन अधिनियम जिसमें कुछ धारा 12 ए शामिल है, एक बच्चा है। कानून में अनिवार्य रूप से प्रारंभिक चरण में शुरुआती समस्याएं होंगी।

निर्दिष्ट मूल्य को 1 करोड़ रुपये से घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

3 लाख रु. धारा 12 ए के अधिदेश का पालन करने की अनिवार्य आवश्यकता, जिसे हमने उजागर किया है, यदि इसे पक्षकारों द्वारा प्राप्त सलाह पर या उच्च न्यायालयों में प्रचलित दृष्टिकोण पर साझा नहीं किया गया है, तो आवश्यक रूप से इसका मतलब होगा कि जब तक हम यह नहीं मानते कि कानून, जिसे हम संभावित घोषित करते हैं, ऐसे मुकदमे नष्ट हो जाने चाहिए। भुगतान की गई अदालती फीस को बख्शा करना होगा। एक नए मुकदमे में, जो अन्यथा सीमा द्वारा वर्जित होगा, केवल सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत आश्रय लिया जा सकता है। धारा 14 के तहत शक्ति की उपलब्धता स्वयं तय करनी पड़ सकती है।

अदालत से।

36 (2001) 9 एससीसी 550 [2022] 11 एस. सी. आर.

84. इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित तरीके से मामलों का निपटारा करेंगे। हम घोषणा करते हैं कि अधिनियम की धारा 12 ए अनिवार्य है और यह मानते हैं कि धारा 12 ए के अधिदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी मुकदमे को आदेश VII नियम 11 के तहत शिकायत की अस्वीकृति के साथ देखा जाना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग अदालत द्वारा स्वतः भी किया जा सकता है जैसा कि फैसले में पहले बताया गया है। हालाँकि, हम इस घोषणा को 20.08.2022 से प्रभावी बनाते हैं ताकि संबंधित हितधारक ऐसा कर सकें

पर्याप्त जानकारी। फिर भी, हम निर्देश देते हैं कि यदि दलीलों को पहले ही खारिज कर दिया गया है और सीमा अवधि के भीतर कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो इस घोषणा के आधार पर मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है। इसके अलावा, यदि शिकायत की अस्वीकृति के आदेश पर एक नया मुकदमा दायर करके कार्रवाई की गई है, तो संभावित प्रभाव की घोषणा से वादी को कोई लाभ नहीं होगा। अंत में, यदि क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय द्वारा धारा 12 ए घोषित किए जाने के बाद धारा 12 ए का उल्लंघन करते हुए शिकायत दायर की जाती है

अनिवार्य रूप से भी, वादी राहत का हकदार नहीं होगा।

85. 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 14697 से उत्पन्न दीवानी अपील में इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी सफल होता और वाद खारिज हो जाता, निम्नलिखित आदेश देना भी आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल लिखित कथन को आदेश XXXVII के अर्थ के भीतर समय के भीतर दायर बचाव की अनुमति के लिए आवेदन और उक्त आधार पर विचार किए गए मामले के रूप में माना जाएगा। जबकि हम विवादित आदेशों में तर्क को अस्वीकार करते हैं, हम अन्यथा आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं और दोनों अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाएगा। 2022 के एसएलपी (सी) No.5737 से उत्पन्न सिविल अपील में, हमने Rs.10,000/- की लागत के भुगतान का निर्देश देने वाले आदेश को दरकिनार कर दिया है। एस. एल. पी. (सी) डायरी संख्या 29458 में एस. एल. पी. दाखिल करने की अनुमति के लिए याचिका

2021 और उक्त एस. एल. पी. का निपटारा किया जाएगा जैसा कि निर्णय में पहले ही संकेत दिया गया है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

बिभूति भूषण बोस

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)